रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2016/अश्विन 8 1938
No. 364] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016/ASVINA 8, 1938

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2016

सं.जी/18–सीडब्ल्यूए/9/2016.–– कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 18 की उपधारा 5 के अनुसरण में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और उक्त संस्थान के लेखा परीक्षित लेखों को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

सीएमए कौशिक बनर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./251(7)]

57वीं वार्षिक रिपोर्ट, 2015–16

दि काउंसिल ऑफ द इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को इस संस्थान के भागों, समितियों, क्षेत्रों की उपलब्धियों और क्रियाकलापों तथा अध्यायों का उल्लेख करते हुए इस 57वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वर्तमान काउंसिल ने सीएमए पी.वी. भट्टड, अध्यक्ष, सीएमए मानस कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष तथा काउंसिल के अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में 22 जुलाई, 2015 से अपनी यात्रा शुरू की ।

निदेशालय और इसके कार्यकलाप

1. लागत लेखांकन मानक बोर्ड (सीएएसबी)

सीएमए बलविन्दर सिंह, परिषद सदस्य की अध्यक्षता में वर्ष 2015–16 के दौरान लागत लेखांकन मानक बोर्ड की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं और लागत लेखांकन मानकों (सीएसए) तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों से संबंधित विभिन्न संगत मामलों पर विचार–विमर्श किया गया ।

बोर्ड ने वर्ष 2015–16 की अवधि के लिए रोडमैप को भी अंतिम रूप दिया, जिसमें पहले से जारी सीएएस में संशोधन, सीएएस की प्रस्तावना में संशोधन, नए सीएएस तथा तत्संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणियों को तैयार करना शामिल है। बोर्ड ने इसकी संगत प्रस्तावना को भी संशोधित करने का अनुमोदन प्रदान किया, जिसे संस्थान के परिपत्र द्वारा अनुमोदित किया गया और हितधारकों की सूचना के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला गया।

वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान, लागत लेखांकन मानक बोर्ड ने दो संशोधित मानकों; क्षमता निर्धारण के संबंध में लागत लेखांकन (सीएएस–2) (संशोधित 2015) को बदलकर क्षमता निर्धारण के संबंध में लागत लेखांकन मानक (सीएएस–2) (संशोधित 2015) और "ओवरहैड" (सीएएस–3) (संशोधित 2011) को बदलकर "उत्पादकता/प्रचालन ओवरहैड" के संबंध में लागत लेखांकन मानक (सीएएस–3)

(संशोधित 2015), जो दो नए मानकों; "अतिभार (ओवरवर्डन) को दूर करने की लागत" के संबंध में लागत लेखांकन मानक (सीएएस–23) तथा "लागत विवरणों में राजस्व व्यवहार" (सीएएस–24) को अनुमोदित किया। परिषद के अनुमोदन के बाद संस्थान द्वारा इन्हें जारी किया गया।

लागत लेखांकन मानक बोर्ड ने भी "क्षमता निर्धारण के संबंध में लागत लेखांकन मानक (सीएएस–2) (संशोधित 2015)", "मरम्मत और अनुरक्षण लागत पर लागत लेखांकन मानक (सीएएस–12)" तथा "कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों के संबंध में लागत व्यवहार" तीन नए मार्गदर्शी नोट अनुमोदित करके जारी किए।

2. लागत लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानक बोर्ड (सीएएएसबी)

लागत लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड ने सीएमए पी. राजू अय्यर की अध्यक्षता में वर्ष 2015–16 के दौरान 10 बैठकें की।

भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 सितंबर, 2015 के पत्र सं. 52/33/सीएबी/2013 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित लागत लेखा परीक्षा मानकों को केंद्र सरकार का अनुमोदन प्रदान किया गया:

- ✓ लागत विवरणों की एक लेखा परीक्षा की योजना के संबंध में लागत लेखा परीक्षा मानक – 101;
- ✓ लागत लेखा परीक्षा दस्तावेज के संबंध में लागत लेखा परीक्षा मानक– 102;
- ✓ स्वतंत्र लागत लेखा परीक्षक के समग्र उद्देश्यों और लागत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा करने के संबंध में लागत लेखा परीक्षा मानक– 103; और
- ✓ कारोबार की जानकारी, इसकी प्रक्रियाओं और कारोबारी वातावरण के संबंध में लागत लेखा परीक्षा मानक– 104

बोर्ड ने दिनांक 5 और 6 अक्तूबर को हुई अपनी 21वीं बैठक में बोर्ड द्वारा जारी मानकों के नाम लागत लेखा परीक्षा के संबंध में मानक और इसके संक्षिप्त रूप से **एससीए** करने का निर्णय लिया। बोर्ड की प्रस्तावना में भी परिषद द्वारा अपनी 296वीं बैठक में संशोधन किया गया है।

3. गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड (क्यूआरबी)

गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड ने दिनांक 22 जुलाई, 2015 से दिनांक 21 जुलाई, 2016 की अवधि के दौरान 2 बैठकें कीं। बोर्ड का दिनांक 24 मई, 2016 को पुनर्गठन किया गया।

4. परीक्षा निदेशालय

परीक्षा वर्ष में दो बार अर्थात इंटरमीडिएट, फाइनल और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए माह जून और दिसंबर में आयोजित की गई, तथा वर्ष में चार अर्थात बुनियादी पाठ्यक्रम के लिए माह मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में दिनांक 01 जून, 2015 की अवधि की परीक्षा दिनांक 11 से 18 जून, 2015 में और दिसंबर, 2015 की अवधि की परीक्षा 10 से 17 दिसंबर, 2015 तक आयोजित की गई।

तमिलनाडु और पांडिचेरी में भारी वर्षा होने के कारण परीक्षा का आयोजन नियत तारीखों को संभव नहीं हो सका था, इसलिए तमिलनाडु और पांडिचेरी के लिए संस्थान ने दिसंबर, 2015 की अवधि की परीक्षा दिनांक 03 जनवरी से 10 फरवरी, 2016 तक आयोजित की गई कैट की परीक्षा भी आईसीएआई इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के साथ–साथ आयोजित की गई।

कुल मिलाकर जून, 2015 और दिसंबर, 2015 की अवधि की परीक्षा के लिए क्रमशः 60757 और 45876 परीक्षार्थी थे। बुनियादी परीक्षा सफलतापूर्वक ऑनलाइन` माध्यम से आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बुनियादी परीक्षा का ब्यौरा इस प्रकार हैः

अवधि	विद्यार्थियों की संख्या	केंद्रों की संख्या
जून, 2015	4927	84
सितंबर, 2015	2507	77
दिसंबर, 2015	6739	86
मार्च, 2016	2234	73

5. अध्ययन और शिक्षाविद निदेशालय

टी एण्ड ई एफ समिति ने वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप पूरे किए :–

(i) अध्ययन निदेशालय – अध्ययन निदेशालय को छात्रों के प्रशासन और हितधारकों (अर्थात क्षेत्रीय परिषद/चैप्टर/सीएमएएससी) के साथ जन संपर्क से संबंधित क्रियाकलाप सौंपे गए हैं।

(ii) शैक्षणिक – शैक्षणिक विभाग को गुणतापरक सुधार और कौशल विकास उपायों के माध्यम से क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

कई क्रियाकलाप ऐसे थे, जो दोनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सहयोग करके और प्रभावी पर्यवेक्षण करके पूरे किए गए।

प्रमुख क्रियाकलापः

- प्रशासन/पंजीकरण/पंजीयन की प्रक्रिया की सुविधाएं – ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों प्रकार के आवेदन
- कोचिंग और प्रशिक्षण का अद्यतन
- छूट प्रदान करना – कम्प्यूटर, सीएसएस, विषय
- अध्ययन सामग्रियों का भंडारण एवं वितरण
- विभिन्न निदेशालयों के साथ समन्वयन
- छात्रों के साथ संप्रेषण – भावी और पंजीकृत छात्र
- क्षेत्रीय परिषदों (आरसी), खंडों (चैप्टर), सीएमएएससी के साथ समन्वयन
- कैरियर परामर्श

इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के लिए क्षेत्र–वार पंजीकरणः

वर्ष 2015–16 के दौरान पाठ्यक्रम 2012 के तहत 15,494 छात्रों को पंजीकृत किया गया।

वर्ष	डब्ल्यूआईआरसी	एसआईआरसी	ईआईआरसी	एनआईआरसी	कुल
2013–14	7,523	10,175	4,769	5,119	27,586
2014–15	5,194	8,733	3,273	3,803	21,003
2015–16	3306	7133	2378	2677	15,494

वर्ष 2015–16 के दौरान पाठ्यक्रम 2012 के तहत 11,932 छात्रों को पंजीकृत किया गया।

वर्ष	डब्ल्यूआईआरसी	एसआईआरसी	ईआईआरसी	एनआईआरसी	कुल
2013–14	3,043	4,734	2,476	3,669	13,922
2014–15	2,657	5,366	2,046	2,961	13,030
2015–16	2204	5442	1834	2452	11932

पाठ्यक्रम 2016

नया पाठ्यक्रम 2016 यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि यह पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो और उद्योग की जरूरतों की पूर्ति हो सके। पाठ्यक्रम 2016 का कार्यान्वयन दिनांक 01 अगस्त, 2016 से किया जाएगा और पाठ्यक्रम 2011 के तहत पहली परीक्षा जून, 2017 में होगी। निदेशालय अध्ययन सामग्रियां तैयार कर रहा है और इसके लिए देश में ऐसी सर्वोत्तम प्रतिभाओं की सेवाएं लेने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जो अपने विषय में विशेषज्ञ हैं।

6. आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के संदर्भ में नियम 14 के तहत की गई परिकल्पना के अनुसार आईसीएआई की आंतरिक शिकायत समिति दिनांक 1.1.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहती है, जो इस प्रकार है :–

वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक) यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक) निपटाई गई शिकायतों की संख्या	एक*
90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहे मामलों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान (1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक) यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	15 बैच
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	लागू नहीं

**नवंबर 2016 में प्राप्त एकमात्र शिकायत निर्धारित समय में अर्थात यौन उत्पीड़न के संबंध में आंतरिक शिकायत समिति को शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर निपटाई गई।*

7. व्यावसायिक विकास निदेशालय (पीडी)

- मुख्यमंत्री, दिल्ली के समक्ष प्रतिनिधित्व किया।
- रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के साथ सम्मिलन
- समसामयिक विषयों पर सम्मेलन
- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों के साथ प्रतिनिधित्व
- आंतरिक लेखा परीक्षा, विद्युत क्षेत्र, इंड–एएस का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व किया।

8. विधिक विभाग

संस्थान का विधिक विभाग संस्थान के विभिन्न निदेशालयों और विभागों की विधिक सहायता संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद प्रदान करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग के प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :–

- वकीलों के साथ संपर्क/समन्वयन करना ।
- समग्र भारत आधार पर वकीलों की सूची तैयार करना ।
- समझौता ज्ञापन और विभिन्न करारों के मसौदों को तैयार करना।
- संपत्ति से संबंधित मामलों में चैप्टरों और अन्य विभागों के साथ समन्वयन करना।
- निविदा की निबंधन एवं शर्तों की पुनरीक्षा करना।
- विवाद की स्थिति में भेजे जाने वाले उत्तरों के प्रारूप को तैयार करना/पुनरीक्षा करना।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य प्राधिकारियों के साथ संपर्क/बातचीत करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की मदद करना।
- आरटीआई मामले।

9. मानव संसाधन विकास

विगत वर्ष के दौरान, मानव संसाधन एवं प्रशासन निदेशालय ने मौजूदा कार्यबल की क्षमता और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए निरंतर सुधार किए जाने पर बल दिया है, जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि हमारे पास एक उच्च निष्पादन देने वाला और मेहनती कार्यबल है, जो बेहतर परिणाम दे रहा है।

मानव संसाधन कार्यबल के मार्गनिर्देशन में मानव संसाधन और प्रशासन निदेशालय ने ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रयास किए हैं, जिसमें कि संस्थान के सभी निदेशालयों/विभागों ने अपने महत्वपूर्ण निर्देशों तथा संबद्ध संगठनात्मक संरचनाओं की एक प्रमुख समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप जॉब के ब्यौरों सहित संशोधित मानव शक्ति नियत की गई है। पुनर्गठन की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भी कई जॉब स्थितियों में परिवर्तन हुए हैं और मौजूदा कार्यबल का पुनर्गठन हुआ है, जो मौजूदा मानवशक्ति की क्षमता और उत्तरदायित्व में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और संस्थान से छात्रों, सदस्यों तथा अन्य हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा।

10. अनुसंधान एवं जर्नल निदेशालय

अनुसंधान निदेशालय के क्रियाकलाप

- सतत विकास के लिए पर्यावरणीय अनुकूलता के संबंध में गहन विचार–विमर्श
- अनुसंधान पर कार्यशाला : बुनियादी सामग्री एवं प्रश्न (सीरीज–I)
- स्वयं सहायता समूहों के लिए सामुदायिक लेखा परीक्षा शुरू करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- स्वयं सहायता समूहों के लेखांकन और लेखा परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम
- पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सूचना सहयोगी के रूप में भागीदारी – "चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन : असमाप्त एजेंडा"
- यूजीसी प्रायोजित कार्यक्रम
- एसोचैम के साथ सूचना सहयोगी के रूप में भागीदारी – "कारोबार करने में आसानी – असमाप्त एजेंडा"
- वित्तीय समावेशन पर गहन विचार–विमर्श
- बीएफएसआई में जोखिम प्रबंधन पर सेमिनार
- कौशल एवं उद्यमिता विकास के माध्यम से स्थायित्वता को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सेमिनार
- अर्थव्यवस्था में कारपोरेट लाभप्रदता के लिए रोडमैप तलाशने के लिए राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
- पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सूचना सहयोगी के रूप में भागीदारी: भारतीय पर्यटन के नए चरण का शुभारंभ
- कारोबार और वित्तीय बाजार के विश्लेषण पर व्यावसायिकों और शिक्षाविदों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)
- पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सूचना सहयोगी के रूप में भागीदारी: पीएचडी ग्लोबल रेल कन्वेंशन

- "भारत में सिक्योरिटी बाजार – स्टार्ट अप की संभावना" पर राष्ट्रीय सेमिनार
- "स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण लागत प्रबंधन" के संबंध में चर्चा बैठक
- "उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में लागत प्रबंधन मामलों" के संबंध में चर्चा बैठक
- भारतीय लेखांकन एसोसिएशन अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग से "लागत प्रबंधन मामले" पर राष्ट्रीय सेमिनार
- अनुसंधान समाचार

क्रम सं.	अनुसंधान समाचार खंड सं.	माह व वर्ष
1	रिसर्च बुलेटिन खंड 41, सं. III	अक्तूबर, 2015
2	रिसर्च बुलेटिन खंड 41, सं. IV	जनवरी, 2016
3	रिसर्च बुलेटिन खंड 42, सं. I	अप्रैल, 2016

जर्नल निदेशालय के कियाकलाप

- यह जर्नल नियमित रूप से समय पर प्रकाशित किया जा रहा है।
- जर्नल के डिजाइन और ले–आउट में परिवर्तन किया गया है। इसकी विशेषताएं और इसकी सामग्री अत्यधिक सुरूचिपूर्ण ओर पेशेवरता से पूर्ण है। इसकी सदस्यों/अंशदाताओं द्वारा व्यापक तौर पर सराहना की गई है।
- हमारा प्रयास अपने जर्नल के गैर–सदस्यीय अंशदाताओं में वृद्धि करना है।
- डाक विभाग के साथ अनेक पत्राचार के बाद डाक प्राप्त न होने की शिकायतों मे काफी हद तक कमी आई है।
- निदेशालय के लिए अपनी वेबसाइट विकसित की जा रही है, जिसके माध्यम से जर्नल की ऑनलाइन बिकी, लेख प्रस्तुत करके, आयोजनों एवं कियाकलापों की घोषणा, ई–लाइब्रेरी सुविधा, पुराने अंकों का अभिलेखागार और इंटरनेट सुलभता के माध्यम से सामान्यतः उपलबध अन्य विभिन्न विशेषताएं उपलब्ध होंगी।
- पाठकों के लाभ के लिए जर्नल के कुछ अंकों में विभाग के अपनी अनुसंधान अन्तर्दृष्टि को शामिल करने के भी प्रयास किए गए हैं।
- इस प्रयास से डोरमेंट एनएमजे का पुनरुद्धार करने का अभियान जारी रहा और काफी एनएमजे इस प्रयास से सक्रिय भी हुए।
- जर्नल के स्वर्ण जयंती समारोह के आलोक में निदेशालय द्वारा इसके लिए कई सेमिनारों, बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
- बैंकों, आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, बीमा कंपनियों के प्रमुखों तथा विभिन्न उद्योग प्रमुखों को पूरक प्रतियां भेजने के लिए कारपोरेट डाटाबेस समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है। इससे हमें अपनी जर्नल की बाजार की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलती है।
- हमने जर्नल की सामग्री में वृद्धि करने के लिए गुणवत्तापरक और संगत लेखों का चयन शुरू कर दिया है।
- कंपनियों और उद्योगों से विज्ञापन प्राप्त करने के प्रयास के रूप में, निदेशालय ने मेल, फोन कॉल और नियमित रूप से दिलचस्पी लेकर एक अभियान चलाया है। इस प्रयास को काफी समर्थन भी मिला है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

यह संस्थान अपने हितधारकों को सेवा प्रदान करने में सुधार लाने के लिए एक औजार के रूप में आईटी की सक्रिय रूप से तैनाती भी कर रहा है। सम्प्रेषण, एकीकरण और सूचना प्रसार में सुधार लाने के लिए आईटी का प्रभावी उपयोग करने के लिए इस वर्ष कई पहल प्रयास किए गए हैं।

आईटी विभाग ने इस वर्ष नेशनल कॉस्ट कन्वेंशन (एनसीसी) 2016 के लिए एक एंड्रॉयड ऐप विकसित करने और सदस्यों को एनसीसी के बारे में यथा समय अद्यतन प्रदान करने के लिए भी पहल शुरू की है। यह एनसीसी के लिए समर्पित वेबसाइट और प्रतिनिधि मंडलों के ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा था। उद्योग समिति के सदस्यों ने भी आरसी और चैप्टर के लिए ऑनलाइन प्रणाली लागू करके "उद्योग पखवाड़े में सदस्य" से संबंधित प्रशासनिक क्रियाकलापों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए कार्यक्रमों के ब्यौरे, अनुमोदन प्राप्त करने और सदस्यों को सीईपी समय प्रदान करने के लिए आईटी के माध्यम से ऑटोमेशन का उपयोग किया।

संस्थान ने एसोचैम के सहयोग से स्थापित "एमएसएमई के विकास के लिए वास्तविक केंद्र" के लिए पोर्टल तैयार करने के लिए विकास सहायता भी प्रदान की।

आईटी विभाग ने लागत वर्गीकरण 2015, कारोबारी नियम तैयार करने, एमसीए–21 लागत वैधता उपाय की जांच करने और लागत वर्गीकरण 2015 के लिए मार्गदर्शी नियम पुस्तिका तैयार करने के लिए भी सक्रिय सहायता प्रदान की है।

12. सतत पेशेवर विकास और लागत प्रबंधन लेखांकन समिति

विभिन्न पहल–प्रयास किए गए हैं:

- सीईपी के तहत संस्थान के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश
- संस्थान के सभी सदस्यों के लिए सीईटी अध्ययन केंद्रों के लिए दिशा–निर्देश
- क्षमता निर्माण – कार्यक्रम/वेबिनारों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल का निर्माण
- सतत शिक्षा कार्यक्रम
- वेबिनार
- संयुक्त कार्यक्रम
- अध्ययन केंद्र

13. लेखांकन तकनीशियन में प्रमाण–पत्र (कैट)

वर्ष के दौरान इस विभाग ने देश के हर भाग में कैट पाठ्यक्रम का विस्तार करने के लिए सतत आधार पर कई पहल–प्रयास किए गए हैं :

- बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, असम द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र में कैट पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), असम की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के रोजगार संबद्ध कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएलएसटीपी) के तहत कैट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की कौशल विकास योजना के तहत कैट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के तहत विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में पंजीकृत। यह ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस पंजीकरण के साथ ही कौशल विकास योजना के तहत किसी भी राज्य में कैट पाठ्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं।

14. प्रशिक्षण एवं शिक्षा सुविधा समिति

- **ऑनलाइन प्रशिक्षण फार्म और छूट**

व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना, जिसके तहत छात्रों को अंतिम परीक्षा में बैठने से पूर्व 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना अपेक्षित होता है, से छात्र अपनी अंतिम परीक्षा पूरी करते समय उद्योग के लिए तैयार बनने में समर्थ हो गए हैं।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण से छूट/प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण किए गए विद्यार्थियों की प्रगति इस प्रकार है:

✓ प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत किए गए विद्यार्थियों की संख्या – 894

✓ प्रशिक्षण से छूट प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या – 1362

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विगत वर्ष के दौरान 35 नई कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिससे अब तक की कुल संख्या 706 हो गई है। सभी पैनलबद्ध कंपनियां छात्रों के लिए आसानी से शहर का चयन करने के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्रों के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही में अर्हता प्राप्त इंटरमीडिएट छात्रों को डाटाबेस से लाभान्वित हुए हैं।

- **आईसीएमए – प्रशिक्षण**

जिन विद्यार्थियों ने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था अथवा उन्हें कार्य की कोई अनुभव नहीं था, उन्हें आईसीएमए प्रशिक्षण (आईसीएमएटी) के 100 घंटे पूरे करने का अवसर दिया गया था ताकि वे अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने योग्य बन सकें।

यद्यपि, आईसीएमएटी छात्रों के लिए एक काम चलाऊ व्यवस्था है, लेकिन इसका परीक्षा की तैयारी करने की तकनीक के लिए अधिक उपयोग नहीं किया गया, जिसमें संकाय द्वारा प्रदान किए गए विषय और वेबिनार की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाता है, जिसके लिए कराधान, लेखा कंपनी अधिनियम, बजट जैसे अभिज्ञात विशिष्ट क्षेत्र से फैकल्टी तथा पूंजी बाजार सहित नौकरियों और व्यावहारिक पहलुओं में सामने आ रही छात्रों की वास्तविक चुनौतियों को स्पष्ट करने वाले फैकल्टी थे।

15. प्रशिक्षण और प्लेसमेंट समिति के सेवारत सदस्य

उद्योग के साथ सशक्त संपर्क स्थापित करने के लिए उद्योग, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट में सदस्यों की समिति ने कई पहलें की थीं, जिसके उद्योग–संस्थान संबंधों पर स्पष्ट प्रभाव देखने को मिले हैं। मुंबई में एलुमिनी मीट भी आयोजित की गई जिसमें कि सदस्यों और उद्योग में कार्यरत लागत लेखाकारों ने परस्पर चर्चा की। उद्योग में सदस्य ऑनलाइन फार्म तैयार किए गए हैं और वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं ताकि उद्योग में सदस्य और अर्हता प्राप्त लागत लेखाकार उन्हें भर सकें। अभी तक हमें उद्योग से 1635 डाटाबेस प्राप्त हुए हैं। समिति ने दिनांक 08 और 09 जुलाई, 2016 को तिरुअनंतपुरम में आयोजित "समावेशी विकास के लिए स्थायित्वता" विषय पर नव आगंतुक उद्योग सदस्यों की एक संगोष्ठि का भी आयोजन किया है। उद्योग से व्यापक प्रतिनिधित्व और संगत क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी चर्चा ने इस आयोजन को एक सफल प्रयास बना दिया।

16. सदस्यता विभाग

- **सदस्यता – एक डिजिटल उछाल**

सदस्य सेवाएं और सेवा समिति के मार्गनिर्देशन में सदस्यता विभाग ने सदस्यों और नए आवेदकों को अच्छी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए प्रयास किया है। संस्थान की वेबसाइट पर सदस्यों की ऑनलाइन सेवा को अत्याधुनिक ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने के लिए नियमित अद्यतन किया जाता है।

- **उपलब्ध ऑनलाइन सेवाः** सदस्यों और नए आवेदकों के लिए सभी आवेदन और अद्यतन मैनुअल प्रक्रिया प्रणाली के अलावा ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन सुविधा https://cmaicmai-in पर उपलब्ध है।
- **प्रवेश किए गए सदस्य**

वर्ष	एसोसिएट	फेलो
2012 – 2013	1745	378
2013 – 2014	1906	366
2014 – 2015	2191	362
2015 – 2016	2570	586

- **संस्थान के सदस्यों के लिए हितकारी निधि (एमबीएफ):** विगत दो वर्षों के दौरान एमबीएफ की सदस्य संख्या प्रत्येक चार क्षेत्रों के लिए नीचे दी गई है :

17. अंतर्राष्ट्रीय कार्य विभाग

शामिल क्रियाकलापः

- ✓ एसएएफए आयोजन
- ✓ सीएपीए आयोजन
- ✓ जीसीसी सीएमए समिट
- ✓ एसीसीए
- ✓ आईएफएसी
- ✓ इंटरनेशनल समिट इत्यादि

18. अनुशासनिक निदेशालय

- **लागत एवं कार्य (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21 क के तहत अनुशासन बोर्ड**

  लागत एवं कार्य लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21 क के तहत संस्थान की परिषद द्वारा अनुशासन बोर्ड का गठन किया गया है। धारा 21 क में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि परिषद एवं अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें कानून में विशेषज्ञता वाला एक सदस्य तथा अनुशासनिक मामलों और व्यवसाय का ज्ञान रखने वाला इसका अध्यक्ष, तथा ऐसे दो सदस्य शामिल होंगे जिनमें से एक परिषद का सदस्य होगा और दूसरा सदस्य लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 16 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के तहत नामित एक व्यक्ति होगा। अनुशासन बोर्ड की 10वीं बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता इस संस्थान के पूर्व अध्यक्ष सीएमए जे. के. पुरी द्वारा की गई।

- **लागत एवं निर्माण (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के तहत अनुशासनिक समिति**

  संस्थान की परिषद द्वारा लागत एवं निर्माण लेखाकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के तहत अनुशासनिक समिति का गठन किया गया है। धारा 21 ख में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि परिषद एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें परिषद के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाएगा और दो सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे, जो कि कानून, अर्थशास्त्र, कारोबार, वित्त अथवा लेखाकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

  समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अर्थात दिनांक 22 जुलाई, 2015 से 21 जुलाई, 2016 तक की अवधि के दौरान अनुशासनिक समिति ने नवंबर, 2015, मार्च, 2016, मई, 2016 और जून, 2016 के दौरान 4 (चार) बैठकें कीं और लागत एवं कार्य लेखाकार (व्यावसायिक एवं अन्य दुराचरण और आचार व्यवहार की जांच की प्रक्रिया) नियामवली, 2007 के प्रावधानों के तहत अनेक शिकायतों और सूचनाओं पर कार्रवाई की। इन मामलों का निपटान करने में अनुशासनिक समिति ने समानता के सिद्धांत तथा प्राकृतिक न्याय का अनुसरण किया और शिकायतकर्ताओं/प्रतिवादियों को मौखिक अनुरोध करने, यदि कोई हो, के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। अनुशासनिक समिति ने समीक्षा वर्ष के दौरान एक (1) शिकायत और 2 (दो) सूचनाओं का निपटान किया।

19. अध्यक्ष का कार्यालय

दिल्ली और कोलकाता स्थित अध्यक्ष का कार्यालय संस्थान के विभागों और बाह्य एजेंसियों के साथ संस्थान के अध्यक्ष की ओर से विभिन्न क्रियाकलापों के समन्वयन का कार्य करता है। यह क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। समन्वयन की सुविधा की दृष्टि से अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा गई कार्रवाई की गई। विभाग ने भी परिषद सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों और संस्थान के उच्चतर अधिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों, जॉब तथा असाइनमेंट को पूरा किया है। कुछेक का मुख्य पहल–प्रयास इस प्रकार है:

- 57वां राष्ट्रीय लागत सम्मेलन
- आईईसी बैठकों के लिए समन्वयन
- मंत्रियों, सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ पत्राचार
- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को तकनीकी सहायता
- संस्थान की सभी प्रमुख घटनाओं में सहायता

20. उन्नत अध्ययन निदेशालय

संस्थान द्वारा उन्नत अध्ययन निदेशालय का गठन किया गया है ताकि वित्त और अन्य संबद्ध क्षेत्रों सहित विभिन्न लागत और प्रबंधन लेखाकरण विषयों पर उन्नत ज्ञान और विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

निदेशालय हैदराबाद में स्थित है और संस्थान के सदस्यों को उन्नत पाठ्यक्रमों की तलाश, विकास तथा सुपुर्दगी प्रदान करता है तथा लागत और प्रबंधन लेखाकरण, वित्त और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के डोमेन के तहत आने वाले क्षेत्रों में विशिष्ट प्रमाण–पत्र/अर्हता उपरांत पाठ्यक्रमों को तैयार और प्रारंभ करके क्षमता निर्माण के लिए प्रयासरत है।

उन्नत अध्ययन निदेशालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम का दूसरा बैच शुरू किया है :

- कारोबार मूल्यांकन में डिप्लोमा
- आंतरिक लेखा परीक्षा में डिप्लोमा
- सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और नियंत्रण में डिप्लोमा।

यह बैच माह नवंबर, 2015 में शुरू किया गया था और दूसरे बैच के लिए पहली परीक्षा माह दिसंबर, 2016 में आयोजित की जाएगी।

निदेशालय ने प्रबंधन लेखाकरण परीक्षा भी आयोजित करता है, जो कि वार्षिक है और केवल माह दिसंबर में आयोजित की जाती है।

यह निदेशालय अब समसामयिक हित के क्षेत्रों में सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए अल्प आवधिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए तौर–तरीकों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। उन्नत अध्ययन निदेशालय उन्नत अध्ययन बोर्ड (बीओएएस) के योग्य मार्गनिर्देशन, निर्देशन और पर्यवेक्षण में संचालन कर रहा है।

21. बैंकिंग और बीमा समिति

- ✓ समिति ने "बीएफएसआई में जोखिम प्रबंधन" पर 3 परामर्शी बैठकें आयोजित की हैं। ये बैठकें कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई में क्रमशः दिनांक 01 अक्तूबर, 2015, 20 नवंबर, 2015 और 30 मई, 2016 को सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं।
- ✓ बैंकों में स्टॉक/सहमति/जोखिम आधारित लेखा परीक्षा करने के लिए आरबीआई को भेजने के लिए लागत लेखाकरण फर्मों का एक पैनल तैयार करने की पहल शुरी की गई है। इच्छुक फर्मों से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए आगे की कार्रवाई के लिए डाटा संचालित किए गए हैं।
- ✓ समिति के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव तथा उपाध्यक्ष व्यवसाय की पहचान बढ़ाने, चर्चा करने और बैंकिंग व बीमा क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर तलाशने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों से मिलेः आईबीए के मुख्य कार्यकारी, सेबी के सीजीएम, एचडीएफसी के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष, सीआईएल के मुख्य सम्मेलनों के प्रमुख, बीएसई के सीएफओ, भारत सरकार की टकसाल के जीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, आरबीआई मुंबई के जीएम, राष्ट्रीय बीमा अकादमी निदेशक, एसएसबीएफ निदेशक, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एनआईबीएम के निदेशक, एनएसडीए, भारत सरकार के अध्यक्ष।
- ✓ विभिन्न बैंकों यथा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूको बैंक का दौरा करके उनकी सहमति और स्टॉक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के लिए लेखा परीक्षाओं का पैनल बनाने संबंधी मामले पर चर्चा करने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया। स्टॉक लेखा परीक्षा और बैंकों में लेखा परीक्षा सहमति के लिए पैनल बनाने के लिए लागत लेखाकारों और लागत लेखाकार फर्मों को शामिल करने के लिए प्रतिनिधित्व पत्र विभिन्न बैंकों को भी जारी किए गए।

- ✓ समिति ने एक तिमाही जर्नल "बैंकिंग और बीमा पर सीएमए जर्नल" प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। उसमें विशेष रूप से बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के मामले शामिल होंगे तथा सभी संबंधित उद्योगों, मंत्रालयों और अनुभव प्राप्त कर रहे सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।
- ✓ "निधियों की मार्जिनल लागत पद्धति पर आधारित आधार दर की गणना संबंधी दिशा–निर्देशों के प्रारूप" के लिए संस्थान की राय और तत्संबंधी सुझाव यथा समय आरबीआई को भेजे गए थे।

22. कारपोरेट कानून, शासन और कारपोरेट स्थायित्वता समिति

कारपोरेट कानून सप्ताह (18 – 24 जनवरी, 2016) – विभिन्न चैप्टरों, क्षेत्रीय परिषद ने सप्ताह को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। श्री केवीआर मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए द्वारा नई दिल्ली में कंपनी अधिनियम, 2013 में समसामयिक मामलों पर एक नॉलेज पैक जारी किया। चैप्टरों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और उनके निषअपादन के आधार पर सर्वोत्तम चैप्टर और सर्वोत्तम क्षेत्रीय कार्यालय का समिति द्वारा चयन किया गया।

- ✓ **विश्व पृथ्वी सप्ताह (16 – 22 अप्रैल, 2016) –** श्री अनिल शिरोल, माननीय संसद सदस्य द्वारा पर्यावरणीय लेखांकन और लेखा परीक्षा में समसामयिक मामलों पर प्रथम नॉलेज पैक जारी किया। "स्थायित्वता लेखांकन और संसूचना में समसामयिक मामलों" नामक दूसरा नॉलेज पैक श्री स्टाथिस गौल्ड, प्रमुख, कारोबार में पेशेवर लेखाकार (पीएआईबी) तथा एकीकृत संसूचना – आईएफएसी द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर एसएएफए–पीएआईबी बैठक में जारी किया गया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन किया गया।
- ✓ **विश्व पर्यावरण सप्ताह (30 मई से 05 जून, 2016) –** माननीय श्री डीवी सदानंद गौड़ा, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोमवार दिनांक 30 मई, 2016 को नई दिल्ली में "पर्यावरणीय एवं स्थायित्वता लेखांकन" नामक नॉलेज पैक जारी किया गया।
- ✓ **एनसीएलटी माह (मई, 2016) –** राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए चैप्टरों और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रबंधन लेखाकार लेख भी सदस्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए प्रकाशित किए गए।
- ✓ **आंतरिक लेखा परीक्षा सप्ताह (26 जून से 02 जुलाई, 2016) –** "आंतरिक लेखा परीक्षा में अंतर्दृष्टि" नामक एक नॉलेज पैक जारी किया गया। समिति ने सदस्यों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया।
- ✓ सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए समिति ने एनसीएलटी, दिवालिएपन और दिवालिएपन संहिता तथा अन्य संगत महत्वपूर्ण विषयों पर अनेक वेबिनार आयोजित किए।
- ✓ आंतरिक लेखा परीक्षा, एफीएमए, एनसीएलटी, फर्मों का पूर्व–प्रमाणन, एफईएमए, केएमपी इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन लेखाकार में कई लेख प्रकाशित किए गए।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''संस्थान'') के संलग्न वित्तीय विवरणों जिनमें संस्थान की परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और तत्समय समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना, जिसमें संस्थान की परिषद द्वारा हमें लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किए जाने पर हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, मुख्यालय के लेखों में 162.78 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्ति तथा 56.38 करोड़ रूपए (अंतरक्षेत्रीय/चैप्टर लेन देनों को छोड़कर) का कुल राजस्व समाविष्ट है। तीन क्षेत्रीय परिषदों नामतः डब्ल्यूआईआरसी, ईआईआरसी और एसआईआरसी के लेखापरीक्षित लेखा 30.95 करोड़ रू0 की कुल परिसंपत्तियां (और 4.0 करोड़ रू0 का कुल राजस्व) परिलक्षित कर रहे हैं । इसके साथ ही अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा भी समाविष्ट है ।

एनआईआरसी के वित्तीय विवरणों को सुविज्ञ भारतीय महा सोलिस्टर जनरल के विचार के अनुसरण में संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है ताकि यथा लेखापरीक्षित उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षित माना जा सके, हालांकि संस्थान की परिषद ने 19.9.2016 की अपनी 302वीं बैंठक में यह निर्णय लिया है कि एनआईआरसी के लेखाओं को गैर–लेखापरीक्षित माना जाए । इसलिए समेकित लेखाओं में चार्टड एकाउंटेंट की एक फर्म द्वारा लेखा परीक्षित उत्तर भारतीय क्षेत्रीय परिषद के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति विवादास्पद है जोकि 5.06 करोड़ रू0 की कुल परिसंपत्तियां (और 1.

62 करोड़ रू0 का कुल राजस्व) परिलक्षित कर रहे हैं और यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.07.2016 के एक आदेश के अध्यधीन हैं जिसमें उसने प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया है कि इस संबंध में अन्य बातों के साथ लिया जाने वाले कोई निर्णय में 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट को प्राप्त करने, 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं को अपनाने, वर्ष 2016–17 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने से संबंधित निर्णय इस न्यायालय के आगे दिए जाने वाले आदेश के अध्यधीन होगा और जैसा कि लेखाओं पर टिप्पणियों की टिप्पणी सं0 7(5) पूर्णतः वर्णित किया गया है । समेकित वित्तीय विवरणों में आगे 41.41 लाख रू0 की राशि शामिल की गई है, जिसे अन्य प्राप्य राशियों के अंतर्गत दर्शाया गया है, जिसको परिषद द्वारा दिनांक 19.09.2016 की उसकी 302वीं बैठक में लिए गए तथा 07 मार्च, 2016 की 297वीं बैठक में लिए गए और 20 मार्च, 2016 को लिए गए निर्णय के बावजूद आय और व्यय लेखा के माध्यम से परिणत किए बगैर अन्य देयताओं में तद्नुरूपी क्रेडिट में शामिल किया गया है । इन आदेशों में यह निर्देश दिया गया था कि एनआईआरसी परिषद द्वारा निर्णय लिए जाने तक ऐसे डेबिट्स को हटा लेगी । उक्त डेबिट्स सहित एनआईआरसी के लेखाओं के ऐसे निगमन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका की विषयवस्तु है, जिसे पहले उल्लिखित किया गया है । इसके अतिरिक्त, इसमें 81 अध्यायों के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिनमें वे 4 अध्याय शामिल हैं जिन पर चैप्टर उप नियमों के खंड 12 (3) (iii) के तहत कोषाध्यक्ष ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथा संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और आई सी डब्ल्यू ए विनियम, 1959 के विनियम 133 तथा संस्थान की अध्याय उप विधि के खंड 26 के अनुसार शासी निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 78.00 करोड़ रूपए की कुल परिसंपत्ति और 20.93 करोड़ रूपए के राजस्व को प्रदर्शित किया गया हैं, जिनकी रिपोर्टें संस्थान के प्रबंधन द्वारा हमें प्ररुतुत की गई हैं। 7 अध्यायों की लेखा परीक्षा नहीं हुई है, जिसमें 0.66 करोड़ रू0 की कुल परिसंपति और 0.26 करोड़ रू0 का राजस्व दर्शाया गया है ।

समेकित वित्तीय विवरणों में 8 अध्यायों की विवरणियां शामिल नहीं हैं, जिसके लिए लेखा परीक्षित लेखा प्राप्त नहीं हुए हैं । इस संबंध में विगत वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र के आंकड़े शामिल किए गए हैं । हमने अनुसूची 15 की टिप्पणी ख–1 के अधीन और उपर्युक्तानुसार यह रिपोर्ट तैयार करने में क्षेत्रों और चैप्टरों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विधिवत विचार किया है।

2. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

प्रबंधन भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेवार है । इस जिम्मेवारी में ऐसे वित्तीय विवरण, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वास्तविक गलत बयानी से मुक्त हैं, को तैयार करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना और रखरखाव करना शामिल है ।

3. लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी

3.1 हमारी जिम्मेवारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है । हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है । इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत बयानी से मुक्त हैं, नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और लेखा परीक्षा की योजना बनाकर उसे संपन्न करते हैं ।

3.2 किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में धनराशि एवं प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं । चुनी गई प्रक्रियाएं धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में वास्तविक गलत बयानी के जोखिम के निर्धारण सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं । इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि उन परिस्थितियों में उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें । किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों के औचित्य तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता एवं वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है ।

3.3 हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह उपर्युक्त पैरा 1 में व्यक्त किए गए हमारे अभिमतों और निम्नलिखित पैरा 4 में दिए गए अभिमतों के साथ पठित हमारी लेखा योग्य परीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

4. योग्य मत का आधार

4.1 7 चैप्टरों और 1 क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित 57.73 लाख रूपए मूल्य के फ्रीहोल्ड तथा पट्टे वाली भूमि और भवनों के संबंध में कोई हस्तांतरण विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया । 10 चेप्टरों और 3 क्षेत्रीय परिषद से संबंधित 107.99 लाख रूपए मूल्य के मूल हस्तांतरण विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । 183.40 लाख रूपए मूल्य की 15 संपत्तियों के विलेख कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1959 के विनियम 85 (1) (ई) एवं 99 (एफ) के उल्लंघन में अभी भी चेप्टरों के नाम पर हैं जिसमें 172.08 लाख रू0 मूल्य की 13 संपत्तियां शामिल हैं, (जिनके लिए मूल हस्तांतरण विलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं)।

4.2 इंदौर देवास चैप्टर से संबंधित भूमि और भवन का मूल पट्टा विलेख नई समिति के कब्जे में नहीं है क्योंकि यह अभी उन्हें सौंपे नहीं गए हैं।

4.3 संस्थान ने कुछ सी और डी श्रेणी के चैप्टरों को 21.60 लाख रुपए तक (अधिकतम 8000 रुपए प्रति माह की दर पर) स्थापना और अन्य प्रशासनिक अनुदान तथा 15.17 लाख रुपए का वार्षिक सदस्यता शुल्क (200 रुपए का सदस्य की दर से) प्रदान किया है। पूरे विवरण न होने के कारण यह पता नहीं लगाया जा सका कि इस संबंध में समग्र देनदारी निर्धारित की गई है और प्रदान की गई है।

4.4 पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्ल्यूआईआरसी)

4.4.1 संस्थान ने दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर दिनांक 21 जुलाई, 2014 की हमारी रिपोर्ट के पैरा 4.3.1 से 4.3.3 में हमारी योग्यता के संदर्भ में एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म को नियुक्त किया है। विशेष लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में परिषद द्वारा नियुक्ति की गई एक कार्यान्वयन समिति द्वारा विचार किया गया है, जिसकी सिफारिशें और/अथवा परिषद द्वारा की गई कार्रवाई कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, जिसके पूरी तरह कार्यान्वित किए जाने पर यह संगत अधिनियमों और विनियमों, जिसमें सीडब्ल्यूए अधिनियम और विनियम शामिल हैं, के अनुसार अनुपालन और परवर्ती देनदारियों, जिनमें आयकर की दृष्टि से उत्पन्न होने वाली देनदारियां शामिल हैं, जिन्हें न तो निर्धारित किया गया है और न ही प्रदान किया गया है, जोकि आयकर की दृष्टि से उत्पन्न हो सकता है ।

4.4.2 अनुसूची 15 की टिप्पणी सं. ख 7 (ii) (ख) और टिप्पणी सं. ख 7 (ii) (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कि 20.77 लाख रुपए की राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए डब्ल्यूआईआरसी के तत्कालीन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से तथा 0.81 लाख रुपए की राशि कुछेक परिषद सदस्यों से कुछ अनाधिकृत भुगतान किए जाने पर वसूल किए जाने के संबंध में है और साथ ही 67.30 लाख रुपए की राशि का दावा कुछ ठेकेदारों से किया गया है, जिनकी वसूली अनिश्चित है और जिसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इसी राशि को सस्पेंस अकाउंट में सीधे जमा मान लिया गया है।

4.4.3 डब्ल्यूआईआरसी के वार्षिक रिपोर्ट के पैराग्राफ 5.3 से यह नोट किया जाता है कि कॉस्ट एकाउंटेंट्स की एक फर्म को डब्ल्यूआईआरसी की फॉरेंसिक लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है । हमारा अनुरोध करने के बावजूद भी हमें कार्य के क्षेत्र तथा अन्य शर्तों के बारे में कोई विवरण प्रकट नहीं किया गया है । इसलिए, हम ऐसी फॉरेंसिक लेखा परीक्षा के प्रयोजार्थ और यदि इसमें शामिल किए जाने वाले लेनदेन कपटी प्रकृति के हैं तो कोई भी टिप्पणी प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है । संस्थान के वित्तीय विवरणों की ऐसी लेखा परीक्षा के प्रभाव अथवा महत्व का इस चरण में निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

4.5 पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषदः

(क) विगत वर्ष के दौरान संस्थान ने दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर दिनांक 21 जुलाई, 2014 की हमारी रिपोर्ट के पैरा 4.4 में हमारी योग्यता के संदर्भ में एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म को नियुक्त किया है, विशेष लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में परिषद द्वारा नियुक्त की गई एक कार्यान्वयन समिति द्वारा विचार किया गया है जिसने यह उल्लेख किया है कि विभिन्न महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज ईआईआरसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे और यह सिफारिश की कि उपयुक्त जांच के लिए पुलिस में एफआईआर दाखिल की जाए और ईआईआरसी तथा तत्काल पूर्ववर्ती अध्यक्ष से गुम फाइलों, दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने सहित कार्रवाई की जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना और अपेक्षित दस्तावेजों के बिना 51.34 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया। इस संबंध में विभिन्न सिफारिशें और की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में हमें यह सूचित किया गया कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या की गई अनियमितताओं का ऐसा कार्यान्वयन पूरा होने पर क्षेत्र की वित्तीय स्थिति से कोई संबंध नहीं है।

(ख) शेष पूंजीगत कार्य, जो प्रगति पर है, में 1,60,44,103.00 रुपए राशि का प्रमुख नवीनीकरण का कार्य है जो विगत वर्ष से आगे नहीं बढ़ा है। इसमें कई राजस्व की छोटी मदें शामिल हैं, जो चार्ज ऑफ हो गई होंगी और शेष राशि पूंजीकृत हो गई होगी। यद्यपि, उसे उपयोग में लाया गया है, परिसंपत्तियां न तो पूंजीकृत की गई हैं और न ही विगत दो वर्षों से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। यह राजस्व व्यय के अल्प विवरण का प्रभाव है, जिसकी मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) हमने यह नोट किया है कि ईआईआरसी के लेखा परीक्षाओं ने अपनी रिपोर्ट में इन मामलों के संबंध में कोई योग्यता नहीं बताई है।

4.6 उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी)

लेखा परीक्षक मै0 महेश के. अग्रवाल एंड कंपनी की नियुक्ति विवादास्पद है । तथापि, जैसाकि विद्वान सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का विचार है, एनआईआरसी के लेखाओं को लेखा परीक्षित लेखा माना जाए । चूंकि उक्त फर्म द्वारा जिसकी नियुक्ति विवादास्पद है, लेखा परीक्षित एनआईआरसी के वित्तीय विवरण हमको भेज दिए गए हैं । हमने इनके समेकन पर विचार किया है । हमारे द्वारा इन पर की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैंः–

4.6.1 आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषद की कार्यकारी समिति की दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को हुई उसकी बैठक में निम्नोक्त संकल्प पारित किया गया थाः

''संकल्प है कि 4144422/– की राशि (41 लाख चवालिस हजार चार सौ बाइस रूपए की राशि) को सीएमए विजेन्द्र शर्मा के डेबिड डाला जाए, जिसके ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं और अध्यक्ष एनआईआरसी से अनुरोध है कि वे 45 दिनों के भीतर इस आशय की डेबिड टिप्पणी जारी करें, जिसमें कर्मचारियों को यह अनुदेश निहित हों कि वे सुनील सिंह, सचिव, और अनिल शर्मा, कोषाध्यक्ष, के परिवेक्षण के अंतर्गत उसको लेखाओं के संबंधित शीर्षों में जमा कर दें'' ।

इसकी आगे संपुष्टि क्षेत्रीय परिषद ने 22.11.2015, 27.11.2.15 और 25.05.2016 को हुई अपनी बैठकों में कर दी है ।

इसके बाद, संस्थान के सचिव को दिनांक 9.5.2016 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने एनआईआरसी को निर्देश दिया था कि वह तब तक डेबिड नोट को वापस ले ले, जब तक कि परिषद इस मामले में अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले लेती है ।

परिषद के अंतिम निर्णय/निष्कर्ष के लंबित रहने तक तथा प्राप्य राशि के दावों के संबंध में अनिश्चिंतता बने रहने तक कार्यकारी परिषद की 6.10.2015 की बैठक का संकल्प तथा आरसी की दिनांक 22.11.2015, 27.11.2015 और 25.05.2016 की बैठक में इस डेबिड टिप्पणी की संपुष्टि की गई है । इसके कारण प्रविष्टियों को पूर्णतः प्रभावी नहीं किया गया है और क्षेत्रीय परिषद ने ''41,44,422 रू0 की दावे की प्राप्य राशि को दावे के स्थगन खाते में तद्नुरूप से जमा कर दिया है । जैसाकि, क्षेत्रीय परिषद ने दिनांक 22.11.2015, 27.11.2015 और 25.05. 2016 को हुई अपनी बैठकों में पारित और अनुमोदित किया है'' । परिसंपत्तियों और देयताओं को उच्चतर सीमा तक बतलाया गया है (जिसके लिए लेखाओं की टिप्पणी सं0 6 (क) और (ख) को देखें) ।

4.6.2 मुख्यालय के साथ जब तक समाधान नहीं हो जाता, तब तक लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी सं0 ख (1)(क) और(ख) में उल्लिखित अनुसार, कुछ अध्यायों तथा प्राप्त करने योग्य गैर–वसूली परिदान की संपुष्टि नहीं की जाती है क्योंकि हम भविष्य में क्षेत्रीय परिषद के वित्तीय विवरणों में, यदि कोई हो, उसके प्रभाव के बारे में टिप्पणियां करने में असमर्थ हैं ।

4.6.3 जैसा कि लेखाओं की टिप्पणियों की टिप्पणी सं0 ख(3) में बताया गया है, प्राप्त करने योग्य और देय लेखाओं से 31.03.2016 तक की स्थिति के अनुसार अधिशेष की संपुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस चरण में संपुष्टि की प्राप्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रकटन के बारे में हम कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं । हमारा यह विचार एनआईआरसी के लेखा परीक्षक द्वारा ऐसे योग्य विचार के अनुसरण में है, जोकि ऐसी टिप्पणियों पर भी आधारित है ।

4.6.4 संस्थान की परिषद ने 07 नवंबर, 2015 को हुई अपनी 296वीं बैठक में हमसे अपने 3 दिसंबर, 2015 और 9 मई, 2016 के पत्रों द्वारा अनुरोध किया था कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एनआईआरसी के लेखा परीक्षक की योग्यता तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एनआईआरसी के गैर–हस्ताक्षरित बहुचरों की स्थिति की पुनरीक्षा करें तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें ।

हमने एनआईआरसी के उक्त लेखा परीक्षकों की वित्तीय वर्ष 2014–15 (जिनकी नियुक्ति विवादास्पद है) द्वारा अर्जित की गई योग्यताओं और वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के लिए गैर–हस्ताक्षरित बहुचरों की स्थिति की समीक्षा की है तथा अपनी समीक्षा रिपोर्ट 18 जुलाई,

2016 को संस्थान के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी है जिसमें हमने उपरोक्त के संबंध में विस्तृत लेखा परीक्षा मत प्राप्त करने के लिए विशेष लेखा परीक्षा करने की सिफारिश की है । ऐसी विशिष्ट लेखा परीक्षा के लंबित रहने तक वित्तीय विवरणों को प्रभावी नहीं माना गया है, जोकि निवल परिसंपत्तियों की स्थिति और 31.3.2016 को समाप्त हुए वर्ष के परिणामों को को प्रभावित कर सकते हैं जबकि यह रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं ।

4.7 37,58,088 रुपए की राशि क्षेत्रीय परिषदों से चैप्टरों द्वारा प्राप्त भवन निर्माण के लिए अग्रिम/ऋण राशि के अंतर्गत दर्शाई गई है, जो कि दिनांक 30.12.2010 की परिषद की 266वीं बैठक में लिए गए निर्णय के उल्लंघन में है। इसके अलावा, 2,25,000 रुपए की राशि, जो पहले 3,00,000 रुपए थी कानपुर चैप्टर से बकाया है जिसकी पुष्टि करके मिलान किया जाना है।

क्षेत्रीय परिषदों द्वारा चैप्टरों को प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में संबंधित लेखा परीक्षाओं द्वारा पूर्ण ब्यौरे और टिप्पणियां न दिए जाने पर हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या ऐसे ऋण परिषद द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार प्रदान किए गए थे।

4.8 लेखाओं की टिप्पणियों (अनुसूची 15) की टिप्पणी सं. 14 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कि संस्थान के मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय/चैप्टर लेखा परीक्षकों को समेकन के प्रयोजन से भेजे गए कुछेक फार्मों के उपलब्ध न होने के संबंध में है। चूंकि उपरोक्त चैप्टरों के संबंधित लेखा परीक्षकों ने यह सूचित किया है कि चैप्टरों के लेखा परीक्षित लेखा से वित्तीय विवरणों की सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रकट हो रही है, इसलिए हमने ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों और विशेष योग्यता के अभाव में ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

4.9 संस्थान के मुख्यालय ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को जारी करके विभिन्न नियंत्रण उपायों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में कई क्षेत्रों में कमियां पाई गईं हैं जैसे अध्ययन निदेशालय के अनुमोदन के बिना चैप्टरों द्वारा पाठ्यक्रम चलाना, आरसी द्वारा चैप्टरों को ऋण देना, समिति के सदस्यों से अग्रिम लेना, अधिक नकदी शेष रखना, चैप्टरों द्वारा बजट प्रस्तुत नहीं करना, समिति के सदस्यों को ऋण देना, बजट से अधिक व्यय करना, समिति के सदस्यों को फैकल्टी पारिश्रमिक देना, म्युच्युअल फंड में धनराशि का निवेश करना, विभिन्न भुगतानों के लिए स्रोत पर कर की कटौती न करना, सीडब्ल्यूए अधिनियम और विनियमनों का उल्लंघन करना शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन करना तथा खरीद प्रक्रिया से जानबूझकर बचना इत्यादि। मुख्यालय और विभिन्न चैप्टरों की आंतरिक लेखा परीक्षा संस्थान की प्रकृति और आकार के अनुसार नहीं पाई गई। विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में आंतरिक नियंत्रण को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है।

4.10 क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों से क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों के पास चालू खाते के तहत दर्शाई गई 102.17 लाख रुपए की राशि के लिए कोई भी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

5. राय :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन और "योग्य मत का आधार पैरा" के लिए पैरा 4 में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों के अध्यधीन और उनके सिवाय तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अनुसूची 15 में दी गई लेखाओं संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित निम्नांकित पैरा 6 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अनुसार, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित पद्धति में अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट मत देते हैं:

(क) दिनांक 31 मार्च, 2016 को संस्थान के कार्यों की स्थिति के तुलन–पत्र के मामले में; (ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे, आधिक्य के मामले में; और (ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरण के मामले में।

6. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

6.1 अनेक कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत के लाभों के संबंध में देनदारियां न तो निर्धारित की गई हैं और न ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 15 में यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान की गई है।

6.2 कुछ मामलों में धारा 194आई और 194जे के तहत टीडीएस नहीं दिया गया है।

उपरोक्त के अध्यधीन हम यह उल्लेख करते हैं कि :

(क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में कानून के अनुसार यथा अपेक्षित समुचित लेखा बहियां दि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से स्पष्ट है (और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से क्षेत्रों और जिन चैप्टरों का हमने दौरा नहीं किया है, वहां से समुचित रिटर्न प्राप्त हो गए हैं, जब तक कि उपरोक्त पैरा 1 और 4.8 में अन्यथा न कहा जाए)

(ग) संबंधित क्षेत्रों और चैप्टरों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, संस्थान के क्षेत्रीय और चैप्टर कार्यालयों के लेखों की रिपोर्ट जैसा हमें प्राप्त हुई थी, इस रिपोर्ट को तैयार करने में समुचित विचार किया गया है।

(घ) उपरोक्त पैरा 1, 4 और पैरा 6 में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन इस रिपोर्ट में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद लेन–देन विवरण क्षेत्रों व जिन चैप्टरों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त लेखा बहियों और रिटर्न के अनुसार है और लेखांकन मानकों को पूरा करते हैं;

कृते के.एस. अय्यर एंड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(एफआरएन. 100186 डब्ल्यू)

स्थानः कोलकाता,

दिनांकः 29 सितंबर, 2016

एस. घोष एफसीए

(एम. नं. 050927)

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	अनुसूची सं0	इस वर्ष 2015-16	
रू0			रू0	रू0
	संस्थान निधि			
2,57,74,03,797	सामान्य निधि	(1)		2,55,42,68,869
23,08,288	कर्मचारी उपदान निधि	(2)		15,31,916
62,70,924	विविध पुरस्कार निधि	(3)		75,99,950
1,16,21,299	अन्य निधि	(4)		3,26,79,007
2,59,76,04,308	**कुल**			**2,59,60,79,742**
	निम्नलिखित शामिल हैं :			
	अचल परिसंपत्तियां	(5)		
1,02,24,11,687	(क) सकल ब्लॉक		1,06,78,24,092	
29,73,72,834	(ख) घटाएं मूल्यह्रास		37,07,73,369	
72,50,38,853	(ग) निवल ब्लॉक			69,70,50,723
11,18,31,133	पूंजी कार्य प्रगति पर			16,11,56,897
500	निवेश	(6)		500
1,88,80,89,947	वर्तमान परिसंपत्ति	(7)	1,87,93,58,194	
3,97,37,409	ऋण एवं अग्रिम	(8)	4,55,85,371	
1,92,78,27,356			**1,92,49,43,565**	
16,70,93,534	घटाएं : वर्तमान देयताएं और प्रावधान	(9)	18,70,71,943	

1,76,07,33,822	**निवल वर्तमान परिसंपत्ति**			1,73,78,71,622
2,59,76,04,308	**कुल**			**2,59,60,79,742**
	लेखों पर टिप्पणियां	**(15)**		
	उपर्युक्त अनुसूचियां लेखों के भाग हैं			

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

परिषद की ओर से और के लिए

कृते **के.एस.अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजी0 सं0 100186डब्ल्यू

सीएमए अरूप शंकर बागची
निदेशक – वित्त

सीएमए कौशिक बनर्जी
सचिव

एस. घोष
भागीदार
सदस्यता सं0 : 050927

सीएमए मानस कुमार ठाकुर
अध्यक्ष

कोलकाता
तारीखः 29 सितंबर, 2016

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

आय और व्यय का लेखा
दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
(एनआईआरसी के साथ)

विगत वर्ष 2014-15 रु.	विवरण	अनु. सं.	वर्तमान वर्ष 2015-16 रु.
	आय:		
4,22,81,718	सदस्यता एवं अन्य शुल्क	**(10)**	3,63,97,166
57,10,83,203	शिक्षण एवं अन्य शुल्क	**(11)**	45,92,96,119
22,01,70,816	परीक्षा एवं अन्य शुल्क	**(12)**	17,55,66,662
2,68,98,369	सी पी डी एवं अन्य कार्यक्रम शुल्क		2,16,01,223
20,69,276	पत्रिका अंशदान पत्रिका के लिए विज्ञापन सहित		12,94,969
3,22,033	प्रकाशन की बिक्री		14,61,828
16,81,19,172	ब्याज		12,96,11,577
97,91,013	अन्य आय		67,03,271

1,04,07,35,600	**कुल :**		**83,19,32,815**
	व्यय :		
24,83,92,666	स्थापना	**(13)**	24,68,93,494
11,85,50,864	कार्यालय व्यय	**(14)**	12,83,72,157
12,82,843	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क		13,87,795
1,40,92,226	यात्रा एवं वाहन		1,44,25,231
14,33,66,841	परीक्षा व्यय		10,98,91,100
2,93,12,714	परिषद एवं समिति की बैठकों का व्यय		2,68,16,467
16,43,384	ट्रिब्युनल सहित चुनाव का खर्च		1,81,14,217
2,00,48,267	पत्रिका व्यय		1,98,05,127
86,89,880	विदेशी निकायों को सदस्यता अंशदान		92,30,410
39,63,953	सम्मेलन एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकें		43,44,466
3,62,16,310	सीपीडी तकनीकी विकास एवं अन्य कार्यक्रम व्यय		3,38,20,756
1,79,04,059	व्यावसायिक विकास व्यय		89,97,360
13,70,70,666	कोचिंग व्यय		11,93,75,788
3,12,38,746	अध्ययन सामग्रियों एवं विवरणें की खपत		3,99,00,457
6,06,967	प्रकाशन सामग्री की खपत		4,67,014
26,04,778	बट्टे–खाते में डाली गई अन्य परिसंपत्तियां (स्टॉक एवं देनदार)		6,33,360
6,29,52,568	मूल्यह्रास	**(5)**	7,37,88,184
87,79,37,732	**कुल**		**85,62,63,383**
16,27,97,868	**व्यय से अधिक आय होने के कारण आधिक्य शेष राशि जो आगे ले जाई गई है**		**(2,43,30,568)**
(8,73,533)	अवधि पूर्व समायोजन (निवल)	**(14क)**	(11,23,803)
16,19,24,335	**आय से अधिक व्यय का घाटा होने पर शेष राशि को सामान्य निधि में हस्तांतरित**		**(2,54,54,371)**
	लेखा टिप्पणियां	**(15)**	

उपरोक्त अनुसूचियां लेखा की भाग हैं ।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार **परिषद की ओर से और के लिए**

कृते **के.एस.अय्यर एंड कंपनी**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजी0 सं0 100186डब्ल्यू **सीएमए अरूप शंकर बागची** **सीएमए कौशिक बनर्जी**

निदेशक – वित्त सचिव

एस. घोष

भागीदार **सीएमए मानस कुमार ठाकुर**

सदस्यता सं0 : 050927 अध्यक्ष

कोलकाता

तारीख: 29 सितंबर, 2016

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया

लेखों के भाग स्वरूप अनुसूची

अनुसूची सं. 1: सामान्य निधि 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	
रू0		रू0	रू0
2,38,03,34,810	पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार शेष		**2,57,74,03,797**
	जोड़िए :		
2,05,64,323	i) चैप्टर की भूमि और भवन का पूंजीकरण	13,58,705	
14,14,524	ii) पूंजी का हस्तांतरण – कोठागुदम चैप्टर (बंद)		
1,29,69,010	iii) लाइब्रेरी कोष से हस्तांतरण	2,53,022	16,11,727
2,41,52,82,667			**2,57,90,15,524**
	घटाएं :		
	i) निम्नलिखित के तहत समायोजन करके		
20,62,544	अध्ययन सामग्री और विवरणिका का स्टॉक	19,15,393	
4,17,487	भवन की मरम्मत–चेप्टर	-	19,15,393
2,41,28,02,636			**2,57,71,00,131**
26,76,826	जोड़िए : प्रवेश शुल्क (सदस्य)		26,23,109
2,41,54,79,462			**2,57,97,23,240**
16,19,24,335	जोड़िए : आय और व्यय लेखे के अनुसार वर्ष के लिए निवल अधिशेष		(2,54,54,371)
2,57,74,03,797	**कुल**		**2,55,42,68,869**

अनुसूची सं. 2 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी उपदान निधि

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रु.		रु.
70,24,164	पूर्ववर्ती तुलनपत्र के अनुसार शेष	**23,08,288**
1,37,547	जोड़िए : वर्ष के लिए अंशदान	3,55,035
71,61,711		**26,63,323**
2,12,132	जोड़िए : वर्ष के लिए निधि की	1,19,770
	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	
42,09,655	घटाएं : न्यास को भुगतान की गई राशि	-
8,55,900	घटाएं : वर्ष के दौरान	12,51,177
	कर्मचारियों को प्रदत्त उपदान	
23,08,288	कुल	**15,31,916**

अनुसूची सं. 3 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
विविध पुरस्कार निधि

पिछला वर्ष	विवरण	इस वर्ष
2014-15		**2015-16**
60,72,210	**पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार शेष**	**62,70,924**
1,84,705	**जोड़िए : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि**	**5,92,299**
4,14,114	**जोड़िए : वर्ष के दौरान जमा आय**	**9,51,461**
(4,00,105)	**घटाएं : पुरस्कार की लागत**	**(2,14,734)**
62,70,924	**कुल**	**75,99,950**

अनुसूची सं.. 4 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अन्य निधि

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रु.		रु.
2,99,023	भवन निधि	3,70,550
2,53,022	पुस्तकालय निधि	7,61,488
1,10,69,254	विविध निधि	3,15,46,969
1,16,21,299	कुल	**3,26,79,007**

अनुसूची सं. 5 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.15 को प्रारंभिक लागत	अवधि के दौरान अभिवृद्धि	जोड़ें /(घटाएं) : समायोजन	31.03. 2016 को कुल राशि	01.04 . 15 तक	वर्ष के लिए	जोड़ें /(घटाएं) : समायोजन	31.03. 2016 तक	इस वर्ष 2015-16	पिछले वर्ष 2014-15
	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0	रू0		रू0	रू0	रू0
मूर्त परिसंपत्तियां:										
फ्रीहोल्ड	15,60,03,303		(2,83,463)	15,57,19,8	2,83,46		(2,83,463)	-	15,57,19,84	15,57,19,
लीज होल्ड	6,45,94,039		47,507	6,46,41,54	47,87,9	9,48,		57,35,966	5,89,05,580	5,98,06,0
फ्रीहोल्ड	56,24,90,212	86,97,876	17,58,295	57,29,46,3	15,55,0	4,11,		19,67,04,0	37,62,42,37	40,69,81,
फर्नीचर	6,39,57,042	28,21,628	18,38,808	6,86,17,47	2,53,35	42,86		2,96,22,13	3,89,95,346	3,86,21,8
पुस्तकालय	1,12,39,150	6,01,475	(99,027)	1,19,39,65	1,12,39	8,04,	(1,04,186)	1,19,39,65	-	-
कार्यालय	6,41,40,193	57,78,204	36,41,997	7,35,60,39	2,82,54	66,70		3,49,24,87	3,86,35,520	3,58,85,8
जेनरेटर	74,56,674	59,26,896	(9,88,905)	1,23,94,66	31,80,5	10,05		41,85,810	82,08,855	42,76,139
लिफ्ट	1,07,83,035	2,75,238		1,10,58,27	18,85,7	13,75		32,61,627	77,96,646	88,97,287
मोटर कार	5,10,460			5,10,460	3,85,20	18,78		4,03,993	1,06,467	1,25,255
कंप्यूटर	5,24,05,906	20,58,336	5,21,048	5,49,85,29	4,68,35	44,43		5,12,79,11	37,06,172	55,69,943
साइकिल	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
अमूर्त										
सॉफ्टवेयर	2,88,23,305	1,05,07,93	21,10,504	4,14,41,74	1,96,67	1,30,		3,27,07,82	87,33,921	91,55,382
	1,02,24,11,687	3,66,67,58	85,46,764	1,06,78,24	29,73,7	7,37,	(3,87,649)	37,07,73,3	69,70,50,72	72,50,38,
पूर्ववर्ती वर्ष	86,56,96,346	15,04,63,4	62,51,902	1,02,24,11	23,44,2	6,29,	-	29,73,72,8	72,50,38,85	63,12,76,
चालू पूंजीगत कार्य (पूंजीगत अग्रिम रू0 1,97,58,800 सहित)। समायोजन/पूंजीकरण या तो पटना न्यायालय के आदेश के कारण 125 लाख रु. के लिए अथवा सहायक संस्थान के निर्णय के कारण 60.28 लाख रु. अजमेर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए और अन्य के लिए 12.30 लाख रु. लंबित है।									16,11,56, 897	11,18,31, 133

अनुसूची सं. 6 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार निवेश (लागत पर)

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16
रु.		रु.
	सहकारी न्यास के शेयर :	
500	10 रू0 प्रत्येक के 50 शेयर	500
	रोहित चैम्बर प्रेमिसेस को–आपरेटिव सोसाइटी लि0, मुंबई	
	(पूर्व में जय वृंदावन प्रेमिसेस ट्रस्ट फंड, मुंबई)	
500	**कुल**	**500**

अनुसूची सं. 7 :31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार वर्तमान परिसंपत्तियां

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	
रु.		रु.	रु.
	स्टॉक :		
11,29,967	- प्रकाशन स्टॉक (लागत पर)		9,97,909
39,24,174	- पेपर स्टॉक (लागत पर)		39,34,459
1,53,00,025	- विवरणिका स्टॉक सहित अध्ययन सामग्री (लागत पर)		1,09,76,891
26,52,482	- अन्य सामग्री का स्टॉक (लागत पर)		21,40,707
2,06,04,878	**विविध कर्जदार**		1,53,60,426
9,47,85,543	**अन्य प्राप्तव्य**		8,25,49,815
	नकदी और बैंक शेष:		
11,62,221	रोकड़ शेष		1316410
14,453	डाक टिकटें शेष		-
	अनुसूचित बैंकों के पास शेष:		
7,44,19,732	चालू खाते में		5,88,83,270
4,51,64,856	बचत खाते में	-	4,51,24,772
1,62,89,31,616	**बैंकों के पास सावधि जमा:**		1,65,80,73,535
1,88,80,89,947	**कुल**		**1,87,93,58,194**

अनुसूची सं. 8 : 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ऋण और अग्रिम

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रु.		रु.
1,41,786	कर्मचारियों को भवन ऋण	28,337
5,17,552	कर्मचारियों को वाहन खरीद अग्रिम	2,21,078
84,19,731	अन्य अग्रिम	78,62,262
6,54,750	कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम	5,57,220
57,66,468	विदेशी निकायों को अग्रिम सदस्यता अंशदान	66,63,330
1,69,03,634	टी डी एस प्राप्ति	2,27,38,743
19,85,010	पूर्व प्रदत्त खर्च	19,58,450
53,48,478	जमा	55,55,951
3,97,37,409	**कुल**	**4,55,85,371**

अनुसूची सं. 9: 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रू0		रू0
	वर्तमान देयताएं :	
89,56,226	लाइब्रेरी जमा	77,43,955
3,10,63,691	विविध ऋण	3,93,74,527
-	आरसी के पास चालू खातों एवं चैप्टर	1,02,16,735
12,01,69,339	अन्य देनदारियां	11,47,04,074
14,31,675	देय टीडीएस	37,97,835
54,72,603	प्रावधान	1,12,34,817
16,70,93,534	**कुल**	**18,70,71,943**

प्रावधानों की अनुसूची :

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रू0		रू0
	मुख्यालय	
40,000	- सहकारी ऋण सोसाइटी को अनुदान	40,000
	व्यय के लिए प्रावधान	
8,41,365	- एसआईआरसी	14,76,704
2,43,206	- एनआईआरसी	(35,766)
26,72,534	- डब्ल्यूआईआरसी	42,82,400
16,75,498	- चैप्टर	54,71,479
54,72,603	**कुल**	**1,12,34,817**

अनुसूची सं. 10 : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यता और अन्य शुल्क

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रू0		रू0
3,10,96,634	वर्षिक सदस्यता शुल्क	2,82,84,388
60,30,512	सदस्यों का कार्य प्रमाण पत्र शुल्क	62,69,910
90,635	ग्रेड सी.डब्ल्यू.ए. शुल्क	49,555
35,51,137	सदस्यों की शिकायत/बहाली शुल्क/नामांकन शुल्क	3,39,478
5,000	प्रमाणित सुविधा केन्द्र शुल्क	8,500
14,63,799	सदस्यता और प्रमाणन शुल्क–आई एम ए (यू एस ए)	14,21,335
44,000	बेहतर स्थिति प्रमाण पत्र	24,000
4,22,81,718	**कुल**	**3,63,97,166**

अनुसूची सं. 11 : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शिक्षण और अन्य शुल्क

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रू0		रू0
1,63,15,500	छात्रों का पंजीकरण शुल्क	1,21,65,000
70,44,339	प्रायोगिक प्रशिक्षण पंजीकरण शुल्क	58,67,687
23,99,600	व्यावहारिक प्रशिक्षण/विषय छूट शुल्क	20,40,988
48,96,65,933	शिक्षण शुल्क	38,68,07,086
3,74,71,350	कंप्यूटर प्रशिक्षण शुल्क	2,98,55,418
1,15,67,775	कोचिंग पूरी करने संबंधी प्रमाण पत्र का पुनः वैधीकरण शुल्क	67,79,141
53,27,917	विवरणिका की बिक्री	25,21,738
12,81,012	अध्ययन नोट्स की बिक्री	1,32,55,961
9,777	डाक, कोचिंग, पुनर्वैधीकरण एवं नए सिरे से फार्म	3,100
57,10,83,203	कुल	45,92,96,119

अनुसूची सं. 12 :
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
परीक्षा और अन्य शुल्क

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रू0		रू0
21,49,06,296	परीक्षा शुल्क	17,25,32,865
36,36,319	उत्तर पत्रों की जांच के लिए शुल्क	29,22,000
12,080	स्केनर सहित सुझावित उत्तर की बिक्री	120
16,16,121	परीक्षा प्रपत्रों की बिक्री	1,11,677
22,01,70,816	**कुल**	**17,55,66,662**

अनुसूची सं. 13 :
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
स्थापना

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रु.		रु.
19,77,47,198	वेतन और भत्ते	19,88,45,872
79,33,234	कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड के लिए नियोक्ता का अंशदान	36,03,612
1,72,21,892	कर्मचारी भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान	1,90,54,804
3,624	कर्मचारी हितकारी निधि में नियोक्ता का अंशदान	3,204
1,10,03,692	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण में नियोक्ता का अंशदान	84,80,557
40,55,817	कर्मचारी अवकाश नकदीकरण–विद्यमान	42,68,315
62,72,998	चिकित्सा व्यय	68,52,387
8,33,662	कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा भत्ता	10,11,992
8,86,544	आर पी एफ सी प्रशासन और ई डी एल आई निरीक्षण प्रभार	13,26,516
24,34,005	प्रशिक्षण और विकास (एच आर डी)	34,46,235
24,83,92,666	**कुल**	**24,68,93,494**

अनुसूची सं0 14 : 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय व्यय

पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	इस वर्ष 2015-16
रु.		रु.
82,79,134	मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	75,23,628
1,28,33,505	डाक, तार, दूरभाष और फैक्स	1,17,17,895
5,67,527	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	33,56,725
96,80,224	विद्युत प्रभार	1,04,34,457
3,34,504	जेनेरेटर व्यय	2,30,025
17,44,295	दरें और कर	80,23,301
6,74,431	बीमा	8,94,406
1,14,54,002	मरम्मत और रखरखाव व्यय	1,09,65,646
16,11,194	कार व्यय	16,50,465
7,820	जमानती जमा पर व्याज	7,820
26,49,409	विधिक प्रभार	61,79,600
2,84,336	बैंक प्रभार	1,81,482
49,97,116	कंप्यूटर रखरखाव व्यय	43,66,606
1,67,81,214	जन संपर्क व्यय	1,37,47,339

31,63,128	सुरक्षा एवं देखरेख संबंधी व्यय	46,29,463
6,62,979	पुस्तक एवं पत्रिकाएं	6,24,567
7,97,989	शिष्टमंडल शुल्क	3,47,314
1,70,415	राजपत्र अधिसूचना	1,05,350
24,64,891	कर्मचारी कल्याण	24,15,624
97,35,212	किराया	88,92,344
2,08,17,617	प्रशासनिक प्रभार	2,49,79,539
88,39,922	विविध व्यय	70,98,561
11,85,50,864	कुल	**12,83,72,157**

अनुसूची सं0. 14 ए : दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अवधि से पूर्व का समायोजन

पिछला वर्ष	विवरण		इस वर्ष
2014-15			**2015-16**
रू.			रू.
	अवधि से पूर्व की आय		
84,502	मुख्यालय		42,21,656
38,25,197	ईआईआरसी		1,05,063
6,94,156	एनआईआरसी		2,874
57,89,869	डब्ल्यूआईआरसी के चैप्टर		2,90,999
1,04,470	एसआईआरसी के चैप्टर		2,04,415
36,888	ईआईआरसी के चैप्टर		32,927
4,400	एनआईआरसी के चैप्टर		83,900
1,05,39,482	कुल (क)		**49,41,834**
	अवधि से पूर्व की आय		
25,49,732	मुख्यालय		45,76,165
1,07,828	डब्ल्यूआईआरसी		-
-	एसआईआरसी		-
72,52,277	ईआईआरसी		3,31,500
7,75,292	एनआईआरसी		1,17,808
2,20,756	डब्ल्यूआईआरसी के चैप्टर		1,41,842
2,89,224	एसआईआरसी के चैप्टर		8,41,282
37,779	ईआईआरसी के चैप्टर		55,660
1,80,127	एनआईआरसी के चैप्टर		1,380
1,14,13,015	कुल (ख)		**60,65,637**
(8,73,533)	अवधि से पूर्व का समायोजन(क- ख)		**(11,23,803)**

दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार नकद लेन–देन विवरण

पिछला वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष	
2014-15		**2015-16**	
रू0		रू0	रू0
	प्रचालन क्रियाकलापों से नकद लेन–देन		
16,19,24,335	कराधान से पूर्व निवल अधिशेष एवं असाधारण मद	**(2,54,54,371)**	
6,29,52,568	जोड़ें : मूल्यह्रास	**7,37,88,184**	
22,48,76,903	**कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन अधिशेष**	**4,83,33,813**	

(1,18,42,837)	चालू देनदारियों में वृद्धि/कमी	199,78,409	
(3,74,11,837)	चालू संपत्तियों में वृद्धि/कमी	(165,88,900)	
(4,92,54,674)		3,65,67,309	
17,56,22,229	**प्रचालन कियाकलापों से नकदी**		8,49,01,122
	निवेश कियाकलापों से नकदी लेनदेन		
10,12,62,272	निर्धारित परिसंपत्तियों की खरीद	9,51,25,818	
-	निवेश में कमी	-	
10,12,62,272	**निवेश कियाकलापों से निवल नकदी**		9,51,25,818
	वित्तपोषण कियाकलापों से नकदी लेनदेन		
2,60,39,455	पूंजी में वृद्धि	2,39,29,805	
2,60,39,455	**वित्तपोषण कियाकलापों से निवल नकदी**		2,39,29,805
10,03,99,412	**नकदी और नकदी के समान मदों में निवल वृद्धि**		1,37,05,109
1,64,92,93,466	**जमा अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी के समान मदें**		1,74,96,92,878
1,74,96,92,878	**दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी के समान मदें**		1,76,33,97,987
11,76,674	नकदी	13,16,410	
1,62,89,31,616	सवधि जमा	1,65,80,73,535	
7,44,19,732	बैंक में जमा शेष – चालू खाता	5,88,83,270	
4,51,64,856	बैंक में जमा शेष – बचत खाता	4,51,24,772	
1,74,96,92,878		1,76,33,97,987	

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

परिषद की ओर से और के लिए

कृते **के.एस.अय्यर एंड कंपनी**

चार्टड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजी0 सं0 100186डब्ल्यू

सीएमए अरूप शंकर बागची

निदेशक – वित्त

सीएमए कौशिक बनर्जी

सचिव

एस. घोष

भागीदार

सदस्यता सं0 : 050927

सीएमए मानस कुमार ठाकुर

अध्यक्ष

कोलकाता

तारीखः 29 सितंबर, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के भाग स्वरूप टिप्पणियां

अनुसूची–15

क. **प्रमुख लेखांकन नीतियां :**

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा, लेखांकन सिद्धांतों, लागू लेखा मानकों, यथा संशोधित लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के अधीन और जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है।

2. समेकन का आधार

मुख्यालय (कोलकाता) और नई दिल्ली कार्यालय एवं उसकी 4 क्षेत्रीय परिषदों तथा छियानबे चेप्टरों के वित्तीय विवरणों का समेकन समस्त वास्तविक अंतरा समूह शेष राशि और अंतरा समूह लेन देनों, जिसके परिणामस्वरूप अप्राप्त अधिशेष तथा घाटा उत्पन्न होता है, को समाप्त करने एवं अपेक्षानुसार आवश्यक समायोजन करने के बाद परिसंपत्तियां और देयताएं, आय और व्यय की समान मदों के खाता मूल्य को जोड़कर किया जाता है।

3. प्रवेश भुल्क

सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत किया जाता है।

4. पंजीकरण भुल्क

विद्यार्थियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क को, जैसे ही विद्यार्थी नामांकित होता है, राजस्व आय के रूप में माना जाता है ।

5. राजस्व को मान्यता देना :

संस्थान आय की महत्वपूर्ण मदों को निम्नलिखित आधार पर स्वीकार करता है :-

(क) सदस्यों का अंशदान

सदस्यों के अंशदान को उस वर्ष में स्वीकार किया जाता है जिस वर्ष का वह अंशदान हो ।

(ख) शिक्षण और अन्य शुल्क

डाक और मौखिक शिक्षण शुल्क के संबंध में प्राप्त राजस्व को छात्र के नामांकित होने पर ही स्वीकार किया जाता है ।

(ग) प्रकाशन की बिक्री

प्रकाशनों की बिक्री के संबंध में राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे प्रकाशनों को किसी कीमत पर प्रयोक्ता को हस्तांतरित किया जाए ।

(घ) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क उस संबंधित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है जिस अवधि का वह होता है ।

(ड.) अन्य

कार्यक्रम शुल्क से प्राप्त राजस्व को ऐसे कार्यकलाप किए जाने पर ही मान्यता दी जाती है ।

(च) ब्याज

बैंकों में जमा राशि पर उक्त वर्ष के लिए ब्याज से प्राप्त आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है ।

(छ) निवेशों से आय को तभी स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाए ।

6. व्यय

व्यय को निम्नलिखित मामलों को छोडकर डाक और मौखिक कोचिंग से संबंधित खर्चों सहित प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है :

(i) चैप्टरों से संबंधित वार्षिक अनुदान को संवितरित किए जाने पर मान्यता दी जाती है।

(ii) चुनाव पर होने वाले खर्च को उस वित्तीय वर्ष में स्वीकार किया जाता है जिसमें वह खर्च हुआ हो ।

7. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास को घटाकर उल्लिखित किया जाता है। लागत में खरीद कीमत और परिसंपत्ति को उसके प्रत्याशित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए वहन की गई कोई भी अन्य लागत शामिल होती है । सृजित की जा रही परिसंपत्तियों को चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया जाता है ।

8. मूल्यह्रास/परि"ोधन :

(क) अचल परिसंपत्तियों संबंधी मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अवलिखित मूल्य पद्धति पर दर्शाया जाता है ।

(ख) पट्टे कर भूमि का बही मूल्य उस पर प्रदत्त प्रीमियम सहित पट्टा–अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है । भूमि का किराया, यदि कोई हो, को उस वर्ष के खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष के लिए ऐसे प्रभार बकाया या देय हों ।

(ग) पुस्तकालय की पुस्तकों में खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत का मूल्यह्रास होता है।

9. निवेश

दीर्घावधिक निवेशों को लागत के रूप में उल्लिखित किया जाता है । तथापि, जब दीर्घावधिक निवेशों के मूल्य में अस्थायी से इतर गिरावट आती है, तो गिरावट को मान्यता देने के लिए वहनीय राशि घटाई जाती है ।

10. **वस्तु–सूची**

विवरणिका स्टॉक आदि समेत प्रकाशन स्टॉक, अध्ययन सामग्री और पेपर स्टॉक का मूल्य, लागत या निबल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है । प्रकाशनों और अध्ययन सामग्री की लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है और कागज की लागत प्रथम प्राप्त प्रथम निर्गत आधार पर निर्धारित की जाती है ।

11. **प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का लेखांकन**

(i) किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है:–

(क) जब पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो

(ख) ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का प्रवाह अपेक्षित है; और

(ग) दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो ।

(ii) निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गयी है :–

(क) कोई संभावित दायित्व जो पूर्ववर्ती घटना से उत्पन्न हो और जिसकी मौजूदगी की पुष्टि एक या उससे अधिक ऐसी अनिश्चित भावी घटनाओं के होने अथवा नहीं होने से होती हो जो संस्था के पूर्णतः नियंत्रण में न हों।

(ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न हो, परंतु उसे मान्यता इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधन का कोई प्रवाह अपेक्षित होगा या दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में व्यक्त किया गया है । इनका नियमित अंतराल पर आकलन किया गया है और दायित्व के केवल उसी हिस्से, जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्रवाह की संभावना हो, के लिए उन अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर प्रावधान किया गया है, जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सके ।

12. **विदेशी मुद्रा में लेन–देन**

विदेशी मुद्रा में लेन–देन सौदे की तारीख को प्रचलित विनिमय दर में मूल्यवर्गित किया जाता है । मौद्रिक मदों को अंतिम दर का प्रयोग करके दर्शाया गया है । आरंभ में रिकॉर्ड या रिपोर्ट की गई मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय दर में अंतरों को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी गई है ।

13. **कर्मचारी लाभ :**

(i) अल्पावधिक लाभ

अल्पावधिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के दौरान दावा किए जाने पर व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है । दावा न की गई राशि का प्रावधान किया गया है ।

(ii) नौकरी के बाद के लाभ जैसे भविष्य निधि, उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि का प्रावधान मुख्यालय संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और चैप्टरों में यथा लागू रूप में किया गया है ।

14. **परिसंपत्तियों का नुकसान**

तुलन पत्र की तारीख को नुकसान वाली परिसंपत्तियों, यदि कोई हों, की पहचान की जाती है और यथापेक्षित आवश्यक प्रावधान किए गए हैं ।

15. **पूर्वावधि आय/व्यय**

पूर्वावधि की मदों, जो एक या उससे अधिक पूर्ववर्ती अवधियों में वित्तीय विवरण तैयार करने में त्रुटियों अथवा चूकों के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में आती हैं, को आय और व्यय लेखे में अलग से दर्शाया गया है ।

ख. लेखाओं के भागस्वरूप टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण मुख्यालय (कोलकाता) तथा नई दिल्ली कार्यालय, चार क्षेत्रीय परिषदों और अठासी चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। चन्द्रपुर, झागराखंड, चिरीमिरी, कोंकण, नेवैली, सिलचर, गाजियाबाद और जम्मू–श्रीनगर चेप्टरों के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं , अतः उन पर विचार नहीं किया गया । इन चेप्टरों के पिछले वर्ष के तुलन पत्र के आंकड़ों पर समेकन के लिए विचार किया गया है (देखें : अनुबंध– I)
2. आयकर में छूट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के साथ पठित धारा 10 (23 क) के अंतर्गत प्रदान की गई हैं । अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है । आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है ।

संस्थान द्वारा रखी जाने वाली सभी पुरस्कार निधियां तत्संबंधी सावधि जमा में संगत निवेश के साथ लेखाओं में शामिल की गई हैं । ये निधियां विभिन्न दाताओं द्वारा प्रायोजित की गई हैं ।

3. 1,65,80,73,535/–रूपए की सावधि जमा में विविध पुरस्कार एवं अन्य निधि के लिए 33,27,1333/– रूपए शामिल हैं जबकि निधियां 75,99,950 रु0 और 3,26,79,007 रुपए है। विशिष्ट निर्धारित राशि न होने पर इसकी पहचान की जानी शेष है।
4. अन्य अग्रिमों में परिषद के भूतपूर्व सदस्य से एम सी ए, भारत सरकार द्वारा भत्तों की अनुमति न दिए जाने के कारण बकाया 1,36,097 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 1,36,097 रूपए) शामिल हैं और यह मामला अभी भी न्यायाधीन है ।

सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क में निम्नलिखित शामिल है :–

सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क (मुख्यालय) 4,80,700/- रू0

जेब खर्चे में से प्रतिपूर्ति	10,282/- रु0
	4,90,982/- रु0

5. (i) **मुख्यालयः**

(क) भविष्य निधि अंशदान इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि न्यास में किया जाता है ।

(ख) उपदान अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित) के अनुसार उपदान के संबंध में देयता को सामूहिक उपदान नीति के तहत एल आई सी आई को किए गए अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

(ग) अवकाश नकदीकरण के संबंध में देयता को एल आई सी आई के पास रखी गई अनुमोदित अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

(घ) 80,87,75,111 रु0 की सावधि जमा में विविध पुरस्कार और अन्य निधियों के लिए 25,74,535 रुपए शामिल है।

(ड.) निम्नलिखित परिसंपत्तियों, जो अभी तक संस्थान के नाम हस्तांतरित नहीं की गई है और न्यायालय के आदेश के कारण और अन्यथा कारण से स्पष्ट हकनामा नहीं है, को अनुसूची–4 (सीडब्ल्यूआईपी) में "पूंजीगत अग्रिम" के रुप में दिखाया जा रहा है।

उत्कृष्टता केंद्र अजमेर	60,28,800/– रु0
चंडीगड़ पंचकुला	12,30,000/– रु0
पटना	1,25,00,000/– रु0
कुल	**1,97,58,800/– रु0**

(ii) **डब्ल्यू आई आर सी**

(क) दिनांक 31.03.2010 से लेकर अब तक बकाया चल रही लाइब्रेरी जमा राशि के 5,81,405 रु0 को वर्ष के दौरान अवलिखित (राइटबैक) किया गया।

(ख) वर्ष 2013–14 के 20,77,565 रु0, 2014–15 के लिए 81,176 रु0 के सस्पेंशन दावों तथा 67,30,000 रु0 के सस्पेंस एफडीएपीएल दावों, जो अनुसूची–9 में अन्य देनदारियों के तहत प्रतीत हो रहे थे, और समेकित खातों में अनुसूची–7 में अन्य प्राप्त राशियों के तहत प्रतीत हो रहे राशि के दावे वर्ष के दौरान स्थिर रहे।

(ग) सीआईडीसीओ नवी मुंबई में भूमि मुख्यालय के नाम से खरीदी गई थी। एब्ल्यूआईआरसी द्वारा अग्रिम रुप से दी गई 12,60,937 रुपए की राशि, जो इस भूमि के लिए अनुसूचित .kksa@vfxze राशि व जमा राशि में प्रतीत हो रही थी, मुख्यालय द्वारा वापस कर दी गई है।

(घ) चालू वित वर्ष के दौरान 19,66,30 रुपए की कानूनी प्रभार राशि खर्च की गई है।

(iii) **एस आई आर सी**

(क) इंडियन ओवरसीज बैंक के पास 8,45,222 रू0 की सावधि जमा राशि को धमार्थ/मैमोरियल कोष की अंतशेष राशि के लिए निर्धारित किया गया है ।

(ख) वित वर्ष 2015–16 के दौरान 3 वर्षों से अधिक समय से दावा न की गई शेष लाइब्रेरी जमा राशि के रुप में 39,000 रुपए की राशि, जो कार्ड सं. 11998–12099 से संबंधित थी, क्षेत्रीय परिषद के कोष में हस्तांतरित कर दी गई है। भविष्य में कोई वापसी का मामला आने पर उसे कोष से भुगतान किया जाएगा।

(ग) वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल, 2010 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संपत्ति कर और जल कर संशोधित किए गए तथा दरों व करों के संबंध में व्यय में उपरोक्त पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन के संबंध में वित वर्ष 2014–15 तक की बकाया राशि 4,42,440 रु0 शामिल है।

(iv) **ई आई आर सी**

(क) पिछले वर्षो के संबंध में विविध ऋणों के द्वारा 1,05,062 रु. राशि की देनदारियां और जो आगे देय नहीं है, अवधि पूर्व आय के रूप में अवलिखित (राइटबैक) की गई है।

(ख) पूर्व वर्षो के संबंध में 53,500/– रुपए राशि विविध अग्रिम के रूप में थी और जो आगे प्राप्त नहीं होगी, परिषद की दिनांक 12.06. 2016 की बैठक सं. 272 में पारित संकल्प के तहत अवधि पूर्व व्यय के रूप में बट्टे खाते में डाली गई है।

(ग) दिनांक 19.12.2015 की परिषद की बैठक सं. 270 में पारित एक संकल्प के तहत 2,78,000 रु. की राशि, जो पूर्व वर्षो के संबंध में अग्रिम के रूप में दर्शाई गई है, और कर्मचारियों के कल्याण के लिए है, अवधि पूर्व व्यय के रूप में दर्शाई जा रही है।

(घ) ग्रेच्युटी प्रीमियम की 10,04,229 रुपए की राशि (एलआईसीआई वास्तविक मूल्यांकन के द्वारा पहचानी गई निवल आरंभिक देनदारी और अंतिम देनदारी के बीच का अंतर) पर 2015–16 के लेखों में विचार नहीं किया गया। यह राशि ग्रेच्युटी कोष में नियोक्ता के अंशदान के तहत अन्य देनदारियों के तहत अनुरूपी प्रावधान के साथ समेकित आय और व्यय खाते में प्रदान की गई है।

(ङ) ईआईआरसी द्वारा एसबीआई, हरीश मुखर्जी रोड शाखा के साथ एक पट्टा करार किया गया था। यह पट्टा करार दिनांक 31.12. 2015 को समाप्त हो गया था और ईआईआरसी ने इसका नवीनीकरण नहीं किया था। ईआईआरसी द्वारा एसबीआई को परिसर खाली

करने के लिए बार–बार अनुरोध किए जाने पर भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। ईआईआरसी को एसबीआई से पट्टा विलेय समाप्त होने से लेकर अभी तक कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) ईआईआरसी परिसर के लिए वित्त वर्ष 2012–13 और 2013–14 में नवीकरण व्यय के संबंध में सीडब्ल्यूआईपी में पूर्व वर्ष से 1,60,44,103 रु. की राशि शेष पड़ी है। तद्नुसार, पूंजीकरण के संबंध में लंबित निर्णय के कारण कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है।

(V) **एनआईआरसी**

एनआईआरसी के लेखा परीक्षक ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय परिषद के लंबित अंतिम निर्णय/परिणाम के होने तथा प्राप्त करने योग्य दावों के संबंध में अनिश्चिंता होने तक जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 की बैठक के संकल्प को लागू नहीं किया गया था और जैसा कि क्षेत्रीय परिषद दिनांक 22.11. 2015, 27.11.2015 और 25.05.2016 हुई उसकी बैठक में पारित और अनुमोदित किया गया था, प्राप्य राशि को दावे के स्थगन खाते में 41,44,422/–रू0 की राशि जमा कर दी गई है । परिसंपत्तियों और देयताओ ंको इस सीमा तक उच्चतर बताया गया है ।

इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है । यह रिट याचिका (ग) 6030/2016 नामक है और माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है ।

15 जुलाई, 2016

जारी नोटिस

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान काउंसिल ने इस नोटिस को स्वीकार किया है । नोटिस प्रतिवादी सं0 2 से लेकर 8 को जारी किया जाएगा जोकि 22 अगस्त, 2016 को वापस किया जा सकेगा । याचिका के विद्वान काउंसिल ने यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी सं0 8, जिसे प्रतिवादी सं0 2 द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट के बतौर नियुक्त किया गया था, ने 22.07.2015 को त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद प्रतिवादी सं0 2 द्वारा कोई चार्टड एकाउंटेंट नियुक्त नहीं किया गया था । उसने यह भी तर्क दिया है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट को लेखाओं की लेखा परीक्षा करने की अनुमति नहीं दी गई थी । यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी सं0 2 ने दिनांक 18 जुलाई, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे वार्षिक सामान्य बैठक बुलाई है । इस बैठक की कार्यसूची में अन्य बातों के साथ–साथ 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना, 31.03.2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं को अपनाना तथा वर्ष 2016–17 के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना शामिल है ।

यह तर्क दिया गया है कि चूंकि लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए कोई लेखा परीक्षक नहीं था, इसलिए उक्त बैठक में प्रस्तावित लेखा परीक्षा लेखाओं को अपनाए जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया । जुलाई, 2016 में बैठक निर्धारित करने का नोटिस 30.06.2016 को जारी किया गया था । याचिकादाता बैठक के अंतिम समय पर उपस्थित हुआ । इसको ध्यान में रखते हुए इस चरण में कोई अंतरिम आदेश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, सिवाए इसको छोड़कर कि 18.07.2016 को आयोजित की गई वार्षिक सामान्य बैठक में लिया गया कोई भी निर्णय जोकि उपरोक्त कार्यसूची की मदों से संबंधित है, इस न्यायालय के आगे आदेशों के अध्यधीन होगा ।

कोर्ट मास्टर के हस्ताक्षरों के अंतर्गत दस्ती

22 अगस्त, 2016

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से प्रस्तुत करने वाले विद्वान काउंसिल की यह प्रार्थना है कि प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया जाए । ऐसा प्रति शपथ पत्र 4 सप्ताहों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रतिवादी सं0 2 और 8 की ओर से पेश होने वाले विद्वान काउंसिल का यह निवेदन है कि प्रति शपथ पत्र तैयार है । इसकी एक अग्रिम प्रति याचिकादाता के लिए काउंसिल को प्रस्तुत कर दी गई है । प्रति शपथ पत्र दो दिनों के भी भीतर रजिस्ट्री में प्रस्तुत कर दिया जाए । इसका प्रत्युत्तर यदि कोई हो, तो वह उसके बाद 4 सप्ताह के भीतर दायर कर दिया जाए । इसे 6.12.2016 को पुनः अधिसूचित किया जाए ।

परिषद ने 19.02.2016 को आयोजित हुई अपनी 302वीं बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

"वर्ष 2015–16 के लिए संस्थान के वार्षिक लेखाओं को 7 और 20 मार्च, 2016 को हुई परिषद की 297वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एन आई आर सी द्वारा परिषद के सदस्यों में डेविड टिप्पणियों के बिना अनुमोदित कर दिया गया और एनआईआरसी के गैर परीक्षित लेखाओं का समेकन सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के इस विचार के अध्यधीन है कि क्या ऐसा समेकन किया जा सकता है"।

21.7.2016 को हुई परिषद की 300वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इसलिए इस समय एनआईआरसी के लेखाओं को मुख्यालयों के लेखाओं के साथ समेकित नहीं किया जा सकता है। उक्त बैठक में परिषद ने यह भी निर्णय लिया था कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश को ध्यान में रखते हुए 18.7.2016 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक सामान्य बेठक में लिए जाने वाला कोई भी निर्णय यहां तक कि 31.3. 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने, 31.3.2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षक लेखाओं को अपनाने, वर्ष 2016–17 के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने से संबंधित है, वह न्यायालय के आगामी आदेशों के अध्यधीन होगा । तद्नुसार, परिषद ने यह निर्णय लिया कि वह इस समय एनआईआरसी द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन करने में विलंब की अनदेखी करने के संबंध में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है ।

7 और 20 मार्च, 2016 को हुई परिषद की 297वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, एनआईआरसी को निर्देश दिया गया था कि वह डेविड टिप्पणियों को तब तक वापस न लें जब तक कि परिषद संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षक की सिफारिश के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले लेती है । एन आई आर सी से यह भी कहा गया था कि उसने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बिना अपनी वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करने की कैसी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि एनआईआरसी की विगत वार्षिक आम सामान्य बैठक में किसी भी लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई थी।

7,8 और 29 नवंबर, 2015 को हुई परिषद की 296वीं बैठक में परिषद को निम्नलिखित मामलों में उपयुक्त कार्रवाई करने में सलाह देने के लिए संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षक को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था ।

i. वर्ष 2014–15 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एनआईआरसी के लेखा परीक्षक की योग्यताओं की पुनरीक्षा करना तथा उपयुक्त सिफारिशें देना ।
ii. वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के लिए एनआईआरसी के गैर–हस्ताक्षरित बहुचरों की स्थिति की जांच करना और उपयुक्त सिफारिशें देना ।

इस संबंध में दी गई सिफारिशें सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

उक्त बैठक में परिषद ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एनआईआरसी के लेखा परीक्षक के रूप में मै0 के.एस.अय्यर एंड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट को भी नियुक्त किया था, जिसने अपनी असमर्थता व्यक्त की है । तथापि, एनआईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा से **करने का दावा किया**, जिसके लिए मुख्यालय के पर्यवेक्षाधीन 10.09.2015 को हुई वार्षिक सामान्य बैठक में नियुक्ति नहीं की गई थी ।

विद्वान सोलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया से संस्थान द्वारा प्राप्त किए गए कानूनी विचार को ध्यान में रखते हुए एनआईआरसी के लेखाओं को, 19.09.2016 को हुई परिषद की 302वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संस्थान के समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में माना गया है । यह मामला अगले आदेश होने तक माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

<u>चैप्टर</u>

1. <u>भुवनेश्वर</u>

क चैप्टर की भूमि/भवन को पूर्व की प्रथा के अनुसार लेखाबहियों में दर्शाया गया है।

ख वर्ष के दौरान दो नए कोष नामतः 1,42,893 रुपए और 50,000 रुपए के कॉरपस से क्रमशः नयन किशोर साहू मैमोरियल फंड और आशा लता मिश्रा फंड सृजित किए गए हैं।

2. <u>त्रिशूर</u>

1,00,000 रुपए से पूंजीगत व्यय (फर्नीचर/फिटिंग 5,00,325 रुपए और एयर कंडीशनर 3,75,200 रुपए) को एजीएम द्वारा पुष्टि की गई है।

3. <u>कोचीन</u>

क. 10 छात्रों के लिए पूर्वकालिक पाठ्यक्रम चलाया गया था। पाठ्यक्रम से हुई निवल आय 2,78,730 रुपए है जिसे मौखिक कोचिंग शुल्क के तहत दर्शाया गया है।

ख. 25 छात्रों के लिए अर्धकालिक पाठ्यक्रम चलाया गया था। पाठ्यक्रम से हुई निवल आय 2,65,855 रुपए है जिसे मौखिक कोचिंग शुल्क के तहत दर्शाया गया है।

4. <u>मदुरै</u>

क. 4,65,500 रुपए मूल्य की अचल संपत्तियां, जो कि गलती से पुरानी सामग्री खाते में दर्शा दी गई थीं, उसे इस वर्ष अचल संपत्ति खाते में स्थानांतरित किया गया है। उपरोक्त संपत्ति पर मूल्यह्रास पूर्व अवधि के 1,20,045 रुपए को वर्तमान वित्त वर्ष में चार्ज कर दिया गया है।

5. <u>पुणे</u>

क. डब्ल्यूआईआरसी से 2 करोड़ रुपए राशि का लिया गया ऋण वर्तमान वित्त वर्ष में डब्ल्यूआईआरसी को 11,33,677 रुपए के बकाया ब्याज के साथ चुका दिया गया है।

ख. वर्ष के दौरान विधिक प्रभारों के संबंध में, 1,33,000 रुपए की राशि व्यय की गई है अर्थात आय व्यय खाते के पेशेवर शुल्कों में से की गई है। इसे समेकन के समक्ष विधिक व्यय खाते में पुनः शामिल किया गया है।

6. <u>लुधियाना</u>

क. लुधियाना चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष श्री आर.सी. सिंघल से पूर्व वर्षों से 1,49,446.75 रुपए की राशि बकाया है, जिसमें श्री रमेश तलवार और श्री संजीव जैन द्वारा खर्च की गई राशि क्रमशः 1330 रुपए और 5930 रुपए शामिल है। एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत समुचित कार्रवाई की गई है।

7. **आकस्मिक देयता (ऐसे दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया)**

(क) नीति के अनुसार, नीति में विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन बिल प्रस्तुत करने पर कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय (सामान्य, पैथोलॉजी व्यय) की प्रतिपूर्ति की जाती है । नीति की शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि 4 वर्षों की अवधि के लिए संचित हो सकती है । दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों के खाते में 1,59,95,808/– की अप्रयुक्त शेष राशि बकाया है ।

(ख) दिनांक 31.10.2015 को केएसईबी ने दिसंबर, 2007 से जुलाई, 2014 तक की अवधि के लिए 6,45,005 रू0 की धनराशि का अल्प आकलन बिल जारी किया गया था । कोच्ची चैप्टर में इस पर विचार किया गया है और माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की है। माननीय उच्च न्यायालय ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं किया है।

(ग) एक ठेकेदार द्वारा दावा की गई 48.83 लाख रू0 की राशि डब्ल्यू आई आर सी द्वारा विवादित है जिसमें इस संस्थान द्वारा 67.30 लाख रू0 का प्रतिदावा किया गया है।

(घ) ईआईआरसी के खिलाफ पूर्व ठेकेदारी कर्मचारी द्वारा एक कानूनी वाद दाखिल किया गया है, जिसमें प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है। इस पर ईआईआरसी द्वारा न्यायालय में मुकदमेबाजी चल रही है। अभी मात्रा का निर्धारण किया जाना है।

(ङ) निर्माण संविदा राशि 1.09 करोड़ रुपए पर 8.73 लाख रुपए राशि का कार्य संविदा कर भुगतान/प्रदान किया गया है क्योंकि कोच्चीन चैप्टर विभाग के पास पंजीकृत नहीं हैं। ठेकेदार द्वारा फार्म 20एच/आईईई प्रस्तुत न किए जाने पर संस्थान को राशि का भुगतान करना पड़ सकता है और तद्नुसार, आकस्मिक देनदारी का प्रकटन किया गया है।

(च) आईटी विभाग ने रायपुर चैप्टर को धारा 234–ई के तहत टीडीएस रिटर्न का विलंब शुल्क लगाने के लिए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 200–क के तहत सूचना जारी की है। चैप्टर ने आईटी अपील आयुक्त के समक्ष धारा 246 (i) (क) के तहत अपील दाखिल की है। अपील का निर्णय लंबित है।

8. फ्रीहोल्ड भूमि और भवन तथा लीज होल्ड भूमि के संबंध में 57.73 लाख रू0 के लिए कोई विलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका । फ्रीहोल्ड भूमि और भवन के संबंध में 280.07 लाख रू0 के लिए मूल विलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका (107.99 लाख रू0 संस्थान के नाम और 172.08 लाख रू0 चैप्टरों के नाम)

9. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ सहित कुछेक सांविधिक देनदारियों के संबंध में दावों की संभावना, जिसकी मात्रा इस अवस्था में अनिश्चित है ।

10. क्षेत्रों की परिषदों और चैप्टरों के संबंध में आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां समेकित लेखों के समय की गई हैं ।

11. दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) और सत्रह चैप्टरों (अजमेर–भीलवाड़ा, गोरखपुर, कोचीन, हैदराबाद, मंगलूर, नेल्लई–पर्ल सिटी, तिरुचिरापल्ली, इरोड, बोकारो, भुवनेश्वर, गुवाहटी, हजारीबाग, रांची, भिलाई, विद्यानगर, भद्रावती–सिमोगा, अगरतला) ने अपने लेखापरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिनिधित्व पत्र के रूप में घोषणा प्रस्तुत नहीं की है कि जिससे दिनांक 17.05.2016 के लेखा समापन परिपत्र की अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित हो सके । तथापि, इन चैप्टरों के लेखा परीक्षकों ने अयोग्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है जबकि क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) के लेखा परीक्षका ने अपनी रिपोर्ट में कुछेक टिप्पणियां की हैं जिन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी राय देने के लिए विचार किया है ।

12. एसआईआरसी और चार चैप्टरों के लेखों (हजारीबाग, नैहाटी–इचापुर, नेल्लई–पर्ल सिटी, विजयवाड़ा) पर उनके संबंधित खजांची द्वारा चैप्टर उप विधियों के खंड 12 (3) (iii) के प्रावधानों के अनुसार हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं ।

13. सात चैप्टरों (धनबाद–सिंदरी, फरीदाबाद, जयपुर, पांडिचेरी, तलचेर–अंगुल, नारा नांगल तथा सिलीगुड़ी–गंगटोक) के लेखा की लेखा परीक्षा नहीं हुई, जिसमें 0.66 करोड़ रू0 की कुल परिसंपत्तियां और 0.26 करोड़ रू0 की राजस्व दर्शाया गया है।

14. दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई भी राशि और उस पर ब्याज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय नहीं है, जैसा कि "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2016" के तहत स्पष्ट किया गया है।

15. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के समूहन के अनुरूप जहां आवश्यक हुआ है, पुनः समूहित और पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

कृते और परिषद की ओर से

सीएमए. अरूप शंकर बागची — **निदेशक (वित्त)**

सीएमए. कौशिक बनर्जी — **सचिव,**

सीएमए मानस कुमार ठाकुर

अध्यक्ष,

स्थानः कोलकाता

दिनांकः 29 सितंबर, 2016

दि इंस्टीटयूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया
वित्तीय वर्ष 2015.16. के वार्षिक लेखों के प्राप्त होने की स्थिति

पश्चिमी क्षेत्र			दक्षिणी क्षेत्र	
क.सं.	नाम		क.सं.	नाम
1	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद		1	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आईसीएआई का अहमदाबाद चैप्टर		2	आईसीएआई का बंगलौर चैप्टर
3	आईसीएआई का औरंगाबाद चैप्टर		3	आईसीएआई का भद्रवावती–सिमोगा चैप्टर
4	आईसीएआई का बड़ौदा चैप्टर		4	आईसीएआई का कोचीन चैप्टर
5	आईसीएआई का भिलाई चैप्टर		5	आईसीएआई का कोयम्बटूर चैप्टर
6	आईसीएआई का भोपाल चैप्टर		6	आईसीएआई का ईरोड चैप्टर
7	आईसीएआई का बिलासपुर चैप्टर		7	आईसीएआई का गोदावरी चैप्टर
8	आईसीएआई का चन्द्रपुर चैप्टर #		8	आईसीएआई का हैदराबाद चैप्टर
9	आईसीएआई का गोआ चैप्टर		9	आईसीएआई का कोट्टायम चैप्टर
10	आईसीएआई का इंदौर–देवास चैप्टर		10	आईसीएआई का मुदुरई चैप्टर
11	आईसीएआई का जबलपुर चैप्टर		11	आईसीएआई का मंगलौर चैप्टर
12	आईसीएआई का झागराखंड–चिरीमिरी चैप्टर #		12	आईसीएआई का मेत्तूर–सेलम चैप्टर
13	आईसीएआई का कल्यान–अंबरनाथ चैप्टर		13	आईसीएआई का मैसूर चैप्टर
14	आईसीएआई का कोल्हापुर–सांगली चैप्टर		14	आईसीएआई का नेल्लई–पर्ल सिटी चैप्टर
15	आईसीएआई का कोंकण चैप्टर #		15	आईसीएआई का नेल्लूर चैप्टर #
16	आईसीएआई का कोरबा चैप्टर #		16	आईसीएआई का नेवेली चैप्टर
17	आईसीएआई का कच्छ–गांधीधाम चैप्टर		17	आईसीएआई का पलक्काड चैप्टर

18	आईसीएआई का नागपुर चैप्टर		18	आईसीएआई का पांडिचेरी चैप्टर
19	आईसीएआई का नासिक–ओजार चैप्टर		19	आईसीएआई का रानीपेट–वेल्लूर चैप्टर
20	आईसीएआई का नवीं मुंबई चैप्टर		20	आईसीएआई का त्रिशूर चैप्टर
21	आईसीएआई का पिम्परी–चिंचवाड–अकुरडी चैप्टर		21	आईसीएआई का त्रिचूरपल्ली चैप्टर
22	आईसीएआई का पुणे चैप्टर		22	आईसीएआई का त्रिवेन्द्रम चैप्टर
23	आईसीएआई का रायपुर चैप्टर		23	आईसीएआई का उकन्नाग्राम चैप्टर
24	आईसीएआई का सूरत–गुजरात चैप्टर		24	आईसीएआई का विजयवाड़ा चैप्टर
25	आईसीएआई का वापी–दमन–सिलवासा चैप्टर		25	आईसीएआई का विशाखापट्टनम चैप्टर
26	आईसीएआई का विंध्यानगर चैप्टर			

पूर्वी क्षेत्र			उत्तरी क्षेत्र	
क्र.सं.	नाम		क्र.सं.	नाम
1	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद		1	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद
2	आईसीएआई का अगरतला चैप्टर		2	आईसीएआई का आगरा–मथुरा चैप्टर
3	आईसीएआई का आसनसोल चैप्टर		3	आईसीएआई का अजमेर–भीलवाडा चैप्टर
4	आईसीएआई का बोकारो स्टील सिटी चैप्टर		4	आईसीएआई का इलाहाबाद चैप्टर
5	आईसीएआई का भुवनेश्वर चैप्टर		5	आईसीएआई का चंडीगढ–पंचकुला चैप्टर
6	आईसीएआई का कटक–जगतसिंहपुर–केन्द्रपारा चैप्टर		6	आईसीएआई का देहरादून चैप्टर
7	आईसीएआई का धनबाद–सिंदरी चैप्टर		7	आईसीएआई का फरीदाबाद चैप्टर
8	आईसीएआई का दुर्गापुर चैप्टर		8	आईसीएआई का गाजियाबाद चैप्टर #
9	आईसीएआई का गुवाहाटी चैप्टर		9	आईसीएआई का गोरखपुर चैप्टर
10	आईसीएआई का हजारीबाग चैप्टर		10	आईसीएआई का गुडगांव चैप्टर
11	आईसीएआई का हावडा चैप्टर		11	आईसीएआई का हरिद्वार–ऋषिकेश चैप्टर
12	आईसीएआई का जयपुर–क्योंझर चैप्टर		12	आईसीएआई का जयपुर चैप्टर
13	आईसीएआई का जमशेदपुर चैप्टर		13	आईसीएआई का जालंधर चैप्टर
14	आईसीएआई का खडगपुर चैप्टर		14	आईसीएआई का जम्मू श्रीनगर चैप्टर #
15	आईसीएआई का नईहत्ती–इचलपुर चैप्टर		15	आईसीएआई का झांसी चैप्टर
16	आईसीएआई का पटना चैप्टर		16	आईसीएआई का जोधपुर चैप्टर
17	आईसीएआई का राजपुर चैप्टर		17	आईसीएआई का कानपुर चैप्टर
18	आईसीएआई का रांची चैप्टर		18	आईसीएआई का कोटा चैप्टर
19	आईसीएआई का राउरकेला चैप्टर		19	आईसीएआई का लखनऊ चैप्टर
20	आईसीएआई का संबलपुर चैप्टर		20	आईसीएआई का लुधियाना चैप्टर
21	आईसीएआई का सेरामपोर चैप्टर		21	आईसीएआई का नया नागल चैप्टर
22	आईसीएआई का सिल्चर चैप्टर #		22	आईसीएआई का नोएडा चैप्टर
23	आईसीएआई का सिलीगुडी–गंगटोक चैप्टर		23	आईसीएआई का पटियाला चैप्टर
24	आईसीएआई का साउथ ओडिशा चैप्टर		24	आईसीएआई का उदयपुर चैप्टर
25	आईसीएआई का तलचर–अंगुल चैप्टर			

विगत वर्ष के तुलन पत्रों के आंकड़ों पर विचारित ।

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

No. G/18-CWA/9/2016.—In pursuance of Sub-Section 5 of Section 18 of the Cost and Works Accountants Act,1959, the Annual Report of the Council of the Institute and the Audited Accounts of the said Institute for the year ended 31st March,2016 are hereby published for general information.

CMA KAUSHIK BANERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./251(7)]

57th, ANNUAL REPORT, 2015-16

The Council of the Institute of Cost Accountants of India takes pleasure in presenting this 57th Annual Report giving the achievements and activities of Departments, Committees, Regions and Chapters of the Institute. The present Council started its journey from 22nd July, 2015 under the leadership of CMA P.V. Bhattad, President, CMA Manas Kumar Thakur, Vice President and other Council Members.

The Directorate and its Activities

1. Cost Accounting Standards Board (CASB)

The Cost Accounting Standards Board held 7 (seven) meetings during the year 2015-2016 under the Chairmanship of CMA Balwinder Singh, Council Member and deliberated on various relevant issues relating to Cost Accounting Standards (CASs) and Guidance Notes.

The Board also finalized the Roadmap for the term 2015-16, which included revision of CASs already issued, revision of preface to the CASs, development of new CASs and Guidance Notes thereon. The Board also approved its revised preface which was approved by the Council of the Institute and hosted on the Institute website for information of stakeholders.

During the term 2015-16, the Cost Accounting Standards Board approved two revised Standards: Cost Accounting Standard on Capacity Determination (CAS-2) (Revised 2015) replacing the Cost Accounting Standard on Capacity Determination (CAS-2) (Revised 2012) and Cost Accounting Standards on "Production/ Operation Overheads" (CAS-3) (Revised 2015) replacing the "Overheads" (CAS-3) (Revised 2011) and two new Standards: Cost Accounting Standards on "Overburden Removal Cost" (CAS-23) and "Treatment of Revenue in Cost Statements" (CAS-24). After approval of the Council these were issued by the Institute.

The Cost Accounting Standards Board also approved and issued three new Guidance Notes on "Cost Accounting Standard (CAS-2) (Revised 2015) on Capacity Determination", "Cost Accounting Standard (CAS-12) Repairs and Maintenance Cost" and "Treatment of Costs Relating to Corporate Social Responsibility (CSR) Activities".

2. Cost Auditing and Assurance Standards Board (CAASB)

The Cost Auditing and Assurance Standards Board held 10 meeting under the Chairmanship of CMA P.Raju Iyer during the year 2015-2016.

The Government of India, Ministry of Corporate Affairs, vide their letter no. 52/33/CAB/2013 dated 10th September, 2015 has, under section 148(3) of the Companies Act, 2013, granted Central Government's approval to the following Cost Auditing Standards:

- ✓ Cost Auditing Standard-101 on Planning an audit of Cost Statements;
- ✓ Cost Auditing Standard-102 on Cost Audit Documentation;
- ✓ Cost Auditing Standard-103 on Overall objectives of the independent cost auditor and

  The Conduct of an Audit in Accordance with Cost Auditing Standards ; and
- ✓ Cost Auditing Standard-104 on Knowledge of business, its processes and the business environment.

The Board in its 21st meeting held on 5th & 6th October, decided to name the standards issued by the Board as 'Standards on Cost Auditing' and its abbreviation as **(SCA)**. The Preface to the Board has been revised by the Council in its 296th Meeting.

3. Quality Review Board (QRB)

The Quality Review Board had 2 meetings during the period 22 July, 2015 to 21 July, 2016. The Board has been reconstituted on 24th May, 2016.

4. Directorate of Examination

Examination was conducted twice in a year; in the month of June & in December for Intermediate, Final & Diploma courses and four times in a year i.e. in the month of March, June, September & December for Foundation Course. The June 2015 term of examination was held from 11 th to 18 th June and in December 2015 term, examination took place from 10 th to 17 th December 2015.

Due to torrential rain in Tamilnadu and Pondicherry, to conduct the examination was not possible on the scheduled dates , hence, for Tamilnadu and Pondicherry the Institute conducted the December 2015 term of examination from 3rd January to 10 th January, 2016. CAT examination was also held along with ICAI Intermediate and Final examination.

In total there were 60,757 examinees in June 2015 term of examination and 45,876 examinees had appeared in the examination in December 2015 term. The Foundation Examination was conducted in on-line mode and it was held successfully. The details of the Foundation examination during the year are given below:

Term	Number of Students	Number of Centres
June 2015	4927	84
September 2015	2507	77
December 2015	6739	86
March 2016	2234	73

5. Directorate of Studies and Academics Department

The T&EF Committee during the year 2015-16 governed the activities of

(i) Directorate of Studies - Directorate of Studies is entrusted in activities relating to student administration and liaisioning with stakeholders (i.e. Regional Councils/Chapters/CMASCs)

(ii) Academics - Academics Department is entrusted for capacity building through qualitative improvement and skill development measures.

There were also many activities which were jointly contributed and effectively supervised by both the Departments.

Major Activities

- Facilitating the process of Admission/ Registration/ Enrolment-both on-line and off-line applications;
- Coaching & Training Updation
- Grant of Exemption-Computer, CSS, Subject
- Storage & Distribution of Study Materials
- Coordination with different Directorates
- Communication with Students –Prospective & Registered Students
- Coordination with RCs, Chapters, CMASCs
- Career Counseling

Region-Wise Registration For Intermediate Course:

During the year 2015-16, 15,494 students registered under Syllabus 2012.

Year	WIRC	SIRC	EIRC	NIRC	TOTAL
2013-14	7,523	10,175	4,769	5,119	27,586
2014-15	5,194	8,733	3,273	3,803	21,003
2015-16	3306	7133	2378	2677	15,494

During the year 2015-16, 11,932 students got admitted to the Foundation Course under Syllabus 2012.

Year	WIRC	SIRC	EIRC	NIRC	TOTAL
2013-14	3,043	4,734	2,476	3,669	13,922
2014-15	2,657	5,366	2,046	2,961	13,030
2015-16	2204	5442	1834	2452	11932

Syllabus 2016

The new syllabus 2016 has been designed to ensure that the syllabus is student friendly and meets the need of the industry. The syllabus 2016 will be implemented from Ist August 2016 and the first examination under syllabus 2016 shall take place in June 2017.The Directorate is in the process of preparing study materials and for this efforts have been initiated to avail the services of best talents in the country who are experts in their own subjects.

6. Internal Complaints Committee

As envisaged under Rule 14 – Preparation of Annual Report – under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee of ICAI wishes to place the annual report for the period 1.1.2015 to 31.12.2015 as under:

Number of complaints of sexual harassment received in the year (January 1,2015 to December 31, 2015)	Nil
Number of complaints disposed off during the year (January 1, 2015 to December 31, 2015)	One*
Number of cases pending for more than ninety days	Nil
Number of workshops or awareness programmes carried out on sexual harassment (January 1, 2015 to December 31, 2015)	15 batches
Nature of action taken by the employer	N.A.

** The lone complaint received in the month of November, 2014 disposed off within stipulated time i.e. 90 days of receiving the complaint by the Internal Complaints Committee on Sexual Harassment.*

7. Professional Development Directorate (PD)

- Represented before the Chief Minister, Delhi
- Association with Controller General of Defence Accounts (CGDA)
- Seminars on Contemporary Topics
- Representation with Government, PSUs, Banks and Other Organizations:
- Representations were in various areas like Internal Audit, Power Sector, Implementation of Ind-AS, National Health Mission etc.

8. Legal Department

Legal Department of the Institute facilitates the need of legal support to various Directorates and Departments of the Institute. The major activities of the department during the period 2015-2016 are as follows:

- Liaison/Co-ordination with Lawyers,
- Empanelled Advocates, pan India basis,
- Drafting of MOU and various Agreements,
- Coordinating with chapters and other departments in property related matters,
- Vetting of the tender terms and conditions,
- Preparing/Vetting the draft replies to be sent in case of dispute,
- Assisting the concerned authority to liaison/ interacting with Ministry of Corporate Affairs, and other authority,
- RTI Matters

9. Human Resource Development

Over the past year, Directorate of HR and Administration have focused on continuous improvement to increase efficiency and accountability of the existing work force which plays a pivotal role in ensuring that we have a high-performing and engaged workforce equipped to deliver results.

Under the guidance of HR Task Force HR and Admin Directorate have taken initiatives to start up the process where all the Directorates/ Departments of the Institute have undergone a major review of their strategic direction and the associated organizational structures, resulting in revised manpower allocation with job details. The restructuring exercises have also resulted in change of many job positions and re-structuring of the existing work force which is tern will prove to be the key to increase the efficiency and accountability of the existing manpower to improve services to Students, Members and other stakeholders of the Institute.

10. Directorate of Research & Journal

Activities of Research Directorate

- Round Table Discussion on Environmental Peace for Sustainable Development
- Workshop on Research: Basic Ingredients and Questions (Series-I)
- The training program on Introducing Community Audit for SHGs
- Pilot Study and Training Programme on Accounting & Auditing of SHGs
- National Skill & Entrepreneurship Development Program
- Partnership with PHD Chamber of Commerce as Knowledge Partner- "Medical and Wellness Tourism: Unfinished Agenda"
- UGC Sponsored Seminars:
- Partnership with ASSOCHAM as Knowledge Partner- "Ease of Doing Business: Unfinished Agenda"
- Round Table Discussion on Financial Inclusion
- Seminar on Risk Management in BFSI
- National Seminar on Fostering Sustainability through Skill & Entrepreneurship Development
- National Summit on Exploring the Roadmaps to corporate profitability across Economy
- Partnership with ASSOCHAM as Knowledge Partner- Ease of Doing Business in Gurgaon
- Partnership with PHD Chamber of Commerce as Knowledge Partner- Heritage India: Unveiling the New Phase of Indian tourism
- Faculty Development Programme (FDP) for Professionals and Academicians on Business and Financial Market Analysis
- Partnership with PHD Chamber of Commerce as Knowledge Partner- PHD Global Rail Convention
- National Seminar on 'Securities Markets in India-Unleashing Startups Potential'
- Discussion meet on 'Strategic Cost Management in Health Care Sector'
- Discussion meet on 'Cost Management Issues in Higher Education Sector'
- National Seminar on 'Issues in Cost Management' in association with Indian Accounting Association Research Foundation
- Research Bulletin

Sl No	Research Bulletin Volume No	Month & Year
1	Research Bulletin Vol. 41, No. III	October, 2015
2	Research Bulletin Vol. 41, No. IV	January 2016
3	Research Bulletin Vol. 42, No. I	April 2016

Activities of Journal Directorate

- The Journal is being published regularly on time.
- The design and layout of the journal has undergone sea change. It looks more elegant and professional both in its features and contents. This has given it wide acceptance across the members/subscribers.
- The endeavor to increase Non-member subscribers of our journal continues.
- After several correspondences with the postal department, the complaints of non-receipts have been reduced to a great extent.
- The exclusive website for the Directorate is being developed, through which the journal would be made available for online sales, article submission, announcement of events & activities, e-library facility, archive of old issues and various features that is normally available through internet accessibility.
- There has also been an endeavor to incorporate the department's own researched insights in some issues of the Journal for the benefit of the readers.
- The drive to revive dormant NMJs continues and quite a good number of NMJs has become active too through this effort.
- In view of the Golden Jubilee Celebration of the journal, many seminars, round tables are being organized by the Directorate to its commemoration.
- The corporate database for posting complimentary copies to chiefs of Banks, RBI, IRDA, SEBI, Insurance companies and various other Industry leaders is being updated periodically. This helps us to improve the market positioning of our journal.
- We have started selecting quality and relevant articles for enriching the contents of the journal.
- As an endeavor to garner advertisements from companies and industries the Directorate has taken a drive by way of mails, phone calls and regular follow ups. This initiative has received a lot of responses too.

11. Information Technology Department

The Institute is actively deploying IT as a tool to improve the service delivery to the stakeholders of the Institute. Several initiatives have been taken this year to effectively use IT to improve the communication, integration and knowledge dissemination.

The IT Department also took initiative this year to develop an android app for National Cost Convention (NCC) 2016 and facilitate members to have real-time updates about the NCC. This was besides the dedicated website for NCC and online registration of delegates.

The Members in Industry Committee also used the automation through IT to effectively manage the administrative activities related to"Members in Industry Fortnight"by deploying the online systems for RCs and chapters to upload details of programmes, get approvals and provide CEP hours to members.

The Institute also provided development support for designingthe portal for "Virtual Centre for Development of MSMEs" established in association with ASSOCHAM.

The IT Department has also actively contributed for development of Costing Taxonomy 2015, Business Rules, testing of MCA-21 costing validation tool and preparation of Guidance Manual for Costing Taxonomy 2015.

12. Continuing Professional Development and Cost Management Accounting Committee

Various initiatives have been taken

- Guidelines for Mandatory Training for all Members of the Institute under CEP
- Guidelines for CEP Study Circles for all Members of the Institute
- Capacity Building - Empanelment of Technical Experts for Programmes/Webinars
- Continuing Education Programmes
- Webinars
- Joint Programmes
- Study Circles

13. Certificate In Accounting Technicians (CAT)

During the year this Department have taken several initiatives on continuous basis to expand the CAT Course in every part of the Country:

- Signed MOU with Govt. of Bodoland Territorial Council (BTC) Assam, to introduce the CAT Course in the region covered by Bodoland Territorial Council Assam.
- Signed MOU with Rajasthan Skill & Livelihoods Development Corporation (RSLDC) to offer CAT Course under the Employment Linked Skill Training Programme (ELSTP) of RSLDC.
- Signed MOU with Directorate of Training & Technical Education, Govt of NCT of Delhi to offer CAT Course under their Skill Development Scheme.
- Registered as Project Implementing Agency (PIA) for the various skills development projects offered under Deen Dayal Upadhaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU- GKY). It is issued by the Department of Rural Development, Govt of India. With this registration, CAT course can be offered in any of the state, under the Skills Development Scheme.

14. Training & Education Facilities Committee

- **Online Training Forms and Exemption**

Practical Training Scheme which requires students to complete a mandatory of 6 months of training before appearing in final exams has enabled the students to become industry- ready while completing their final exam.

The progress of students registered for Training/exemption from Training during the year is:

- ✓ No of Students registered for Training: 894
- ✓ No of Students exempted from Training: 1362

35 new companies empaneled during the last year for imparting practical training marking the total number to 706 till date. The details of all empanelled companies are available in the website of the Institute in an easy city based search for students. Many companies and practicing members along with students have also been benefited by the database of the recently qualified intermediate students for providing practical training.

- **ICMA – Training**

The students having no training or work experience were given an opportunity to complete 100 hours of ICMA Training (ICMAT) to enable them for appearing in final exams.

Though ICMAT is a stop gap arrangement for student but it's no longer used as exam preparation technique, a special focus was on topic and quality of webinar delivered by the faculty for which faculty from specialized stream had been identified like Taxation, Accounts, Companies Act, Budget and faculty explaining students real time challenges faced in jobs and practical aspects including Capital Market

15. Members in Service- Training & Placement Committee

In order to create a strong link with Industry, the Committee for Members in Industry, Training & Placement had taken many initiatives which have shown a visible positive impact on the Industry - Institute relationship.Alumni Meet was also conducted at Mumbai wherein members and cost accountants working in industry had interaction. Members in Industry on-line form has been developed and hosted in the website to be filled in by the members and qualified cost accountants in industry. So far we have received 1635 database from industry. The Committee also organized maiden Members In Industry Conclave on the topic `Sustainability for Inclusive Growth' held at Thiruvananthapuram during 8 & 9 July 2016. A wide representation from industry and technical deliberations by experts in relevant field had made the event a very successful endeavour.

16. Membership Department

- **Membership – A Digital Leap**

  Membership Department, guided by the Members Facilities and Services Committee, has taken up the endeavor to offer smooth online services to members and new applicants. Members' Online System, on the Institute's website is updated on regular basis to offer state of the art online experience.

- **Online services available:** All applications and updations for members and new applicants can be availed online in addition to the system of manual process. Online facility is available at https://cmaicmai.in

- **Members Admitted**

YEAR	ASSOCIATE	FELLOW
2012-2013	1745	378
2013-2014	1906	366
2014-2015	2191	362
2015-2016	2570	586

- **Benevolent Fund (MBF) for the members of the Institute:** The membership strength of MBF during the last 2 years is as given below for each of the 4 regions.

17. International Affairs Department

Activities include:

- ✓ SAFA Events
- ✓ CAPA Events
- ✓ GCC CMA Summit
- ✓ ACCA
- ✓ IFAC
- ✓ International Summit etc

18. Disciplinary Directorate

- **Board of Discipline under Section 21A of the Cost and Works (Amendment) Act, 2006**

The Board of Discipline has been constituted by the Council of the Institute under Section 21A of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006. Section 21A *inter alia* states that the Council shall constitute a Board of Discipline consisting of a person with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the profession, to be its Presiding Officer; two members one of whom shall be a member of the Council and the other member shall be the person designated under clause (c) of sub-section (1) of Section 16 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

The 10th meeting of the Board of Discipline was held on 20th July, 2016 which was presided by CMA J.K. Puri, former President of this Institute.

- **Disciplinary Committee under Section 21B of the Cost and Works (Amendment) Act, 2006**

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of the Institute under Section 21B of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2006. Section 21B *inter alia* states that the Council shall constitute a Disciplinary Committee consisting of the President or the Vice-president of the Council as the Presiding officer and two members to be elected from amongst the members of the Council and two members to be nominated by the Central Government from amongst the persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy.

During the period of review i,e., 22nd July 2015 to 21st July 2016, the Disciplinary Committee held 04 (four) meetings during November 2015, March 2016, May 2016 and June 2016 and considered a number of complaints and information under the provisions of The Cost and Works Accountants (Procedure of Investigation of professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007. In dealing with these cases, the Disciplinary Committee had followed the principles of equity and natural justice and giving the parties an opportunity to be heard by attendance of Complainants/Respondents in person for making oral submissions, if any. The Disciplinary Committee disposed off 1 (one) complaint and 02 (two) information during the year under review.

19. President's Office

President's office at Delhi and Kolkata facilitates coordination of various activities on behalf of the President of the Institute with departments of the Institute and external agencies. It may not be involved with the activities directly but indirectly there are many actions taken by the President's Office for the ease of coordination. The department also carried out various tasks, jobs and assignments assigned by Council Members, Past Presidents and Higher Officials of the Institute. Some of the key initiatives are as follows:

- ✓ 57th National Cost Convention:
- ✓ Coordination for IEC Meetings:
- ✓ Correspondence with Ministries, Government Departments and agencies:
- ✓ Technical Support to President & Vice-President
- ✓ Support to all major events of the Institute:

20. Directorate of Advanced Studies

The Directorate of Advanced Studies has been constituted by the Institute in order to provide advanced knowledge and specialized training on various topics of cost and management accountancy, including finance and other allied areas.

The Directorate is based at Hyderabad and devises, develops and delivers the advanced courses to the members of the Institute and strives for Capacity Building by designing and initiating specific Certificate/Post- Qualification courses in the areas falling under the domain of cost and management accountancy, finance and other allied areas.

The directorate of advanced studies has started its 2nd batch of the Advanced Diploma Courses in the following areas

- Diploma in Business Valuation
- Diploma in Internal Audit
- Diploma in Information Systems Audit and Control

The batch was started in the month of Nov 2015 and the first examination for the 2nd batch will be conducted in the month of Dec, 2016.

Directorate also conducts Management Accountancy examination which is an annual feature and held only in the month of December.

The Directorate is now mulling over introducing short term diploma courses for the benefit of members in the areas of contemporary interest. The modalities for the same are finalized. The Directorate of Advanced Studies is functioning under the able guidance, direction and supervision of the Board of Advanced Studies (BOAS).

21. Committee on Banking & Insurance

- ✓ The Committee has organized 3 Discussion meets on 'Risk Management in BFSI'. The meets have been successfully held in Kolkata, New Delhi and Chennai on 1st October, 2015, 20th November, 2015 and 30th May, 2016 respectively.
- ✓ An initiative to create a panel of Cost Accountant Firms for sending to RBI for its consideration for Stock / Concurrent / Risk based internal audit in the banks, has been started. Several applications from interested firms have been received; data has been compiled for further process.
- ✓ The Chairman, Members, and secretary of the Committee together with Vice President had visited the following authorities to discuss, enhance recognition of the profession and explore professional avenues in the area of banking & Insurance: Chief Executive of IBA, CGM of SEBI, Non-executive Chairperson of HDFC, Head-major conferences of CII, CFO of BSE, GM of India Government Mint President, Institute of Actuaries of India, GM of RBI in Mumbai, Director of National Insurance Academy, Director of SSBF, Symbiosis International University, Director of NIBM, Chairman of NSDA, Government of India.
- ✓ Representations were made by visiting various banks such as Punjab National Bank, Bank of Baroda, and UCO Bank to discuss the issue of empanelment of auditors for their concurrent and stock audit procedures. Representation letters for inclusion of 'Cost Accountants and Cost Accountant Firms' for empanelment for Stock Audit and Concurrent Audit in the Banks were sent to various banks too.

- ✓ The Committee has decided to publish a quarterly journal, 'CMA Journal on Banking & Insurance'. That would contain exclusive matters in the field of banking & insurance and would be circulated to all concerned industries, ministries and practicing members.
- ✓ Opinion of the Institute and suggestions thereof for the 'Draft guidelines on computation of Base Rate based on Marginal Cost of Funds Methodology' had been submitted to RBI in due time.

22. Corporate Laws, Governance and Corporate Sustainability Committee

- ✓ **Corporate Laws Week (18-24th January, 2016)-** Various chapters, regional council organized various programmes to celebrate the week. A knowledge pack was released by Shri K.V.R. Murthy, Joint Secretary of MCA titled Contemporary Issues in Companies Act, 2013 at New Delhi. The Chapters, Regional Offices and Headquarters were also encouraged to conduct programmes and based on their performance the Best Chapter and Best Regional Office were selected by the Committee.
- ✓ **World Earth Week (16-22th April, 2016)-** The first Knowledge Pack on Contemporary Issues in Environmental Accounting & Auditing was released by Shri Anil Shirole, Hon'ble Member of Parliament. The second Knowledge Pack titled "Contemporary Issues in Sustainability Accounting & Reporting" was released by Mr. Stathis Gould, Head of Professional Accountants in Business (PAIB) and Integrated Reporting Lead – IFAC at SAFA-PAIB Meeting held at Mumbai on 22nd April, 2016 on World Earth Day. The week was celebrated by organizing various programmes and seminars.
- ✓ **World Environment Week (30th May to 5th June, 2016)-** The Knowledge Pack titled " Environmental and Sustainability Accounting " which was released by Honourable Shri D.V. Sadananda Gowda, MInister of Laws and Justice, Government of India on Monday,30th May, 2016 at New Delhi.
- ✓ **NCLT Month (May, 2016)-** Various Programmes were organized across the Chapters and Regional Offices for NCT. In the Management Accountant articles were also published for knowledge upgradation of members.
- ✓ **Internal Audit Week (26th June to 2nd July, 2016)-** A Knowledge Pack titled 'An Insight into Internal Audit' was released. The Committee organized webinars by eminent persons for the members.
- ✓ The Committee organized numerous webinars on NCLT, Bankruptcy and Insolvency Code and other important topics of relevance for capacity building of the members.
- ✓ Many articles were published in the Management Accountant in diverse areas including Internal Audit, FEMA, NCLT, Pre-certification of Forms, FEMA, KMP etc.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Council of The Institute of Cost Accountants of India

Report on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2016.

1. We have audited the accompanying financial statements of The Institute of Cost Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, the Income & Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated the accounts of Headquarters, reflecting total assets of Rs 162.78 Crores and total revenue of Rs 56.38 Crores (net of inter-region/chapter transactions) audited by us having been appointed by the Council of the Institute. The audited accounts of 3 regional councils namely WIRC, EIRC and SIRC reflecting total assets of Rs 30.95 Crores (and total revenue of Rs 4.00 Crores) audited by other auditors have also been incorporated.

   The Financial Statements of NIRC have been included in the Consolidated Financial Statements of the Institute pursuant to the opinion of Learned Solicitor General of India by the Council to treat the said Financial Statements as audited, even though the Council of the Institute in its 302nd meeting dated 19.09.2016 resolved to treat NIRC accounts as unaudited. Therefore, the consolidated accounts include the Financial Statements of Northern India Regional Council audited by a firm of Chartered Accountants, appointment of whom is in dispute, reflecting total assets of Rs 5.06 Crores (and total revenue of Rs 1.62. Crores) and is subject to an order dated 15.07.2016 passed by Hon'ble Delhi High Court directing the respondents that any decision to be taken inter alia, to receive the Annual Report for the year ended 31.3.2016, to adopt the Audited Accounts for the Year ended 31.03.2016, to appoint auditors for the year ended 2016-17 will be subject to further order of this court and as fully described in Note No 7 (V) of Notes on Accounts. The Consolidated Financial Statements further include an amount of Rs 41.44 lacs shown under Other Receivables with a corresponding credit under Other Liabilities without routing it through Income and Expenditure account inspite of decision of the Council taken in its 302nd meeting dated 19.09.16 and 297th meeting dated 7th March 2016 and 20th March 2016 directing NIRC to withdraw such debits pending decision by the Council.

Such incorporation of NIRC accounts inclusive of the said debits are subject matter of a writ petition filed before the Hon'ble High Court of Delhi mentioned herein before.

It further includes Financial Statements of 81chapters including the accounts of 4 Chapters which have not been signed by respective Treasurers in terms of Clause 12 (3) (iii) of the Chapter bye-laws, reflecting total asset of Rs 78.00Crores and revenue of Rs 20.93 Crores, audited by auditors, appointed by the respective Regional Councils and Governing Bodies of the Chapters in terms of regulation 133 of the ICWA Regulation 1959, and clause 26 of the Chapter By-laws of the Institute, whose reports have been furnished to us by the management of the Institute. 7 chapters remain unaudited reflecting total assets of Rs 0.66 Crores and revenue of Rs 0.26 crores.

Consolidated Financial Statements does not include returns of 8 Chapters for which audited accounts have not been received. Balance Sheet Figures in this respect of the previous year (2014-15) have been incorporated. We have duly considered the reports of auditors of regions and chapters as received, in framing this report *subject to* Note B 1 of Schedule 15 and as stated above.

2. **Management's Responsibility for the Financial Statements**

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. **Auditor's Responsibility**

3.1 Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

3.2 An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Institute has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of

such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

3.3 We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion read with our observations made in para 1 above and observations given in Para 4 and 6 below.

4 **Basis for Qualified Opinion**

4.1 In respect of Freehold and Leasehold Land and Buildings valued at Rs 57.73lacs pertaining to 7 chapters and 1 Regional Council no deed of conveyance was made available for our verification. Original deed of conveyance in the Name of the Institute valued at Rs 107.99 lacs, pertaining to 3 Regional councils and 10 chapters were not produced. 15 properties valuing Rs. 183.40 lacs are in the name of the chapters in contravention of Regulation 85 (1) (e) & 99 (f) of The Cost and Works Accountants Regulations, 1959, inclusive of 13 properties valued at Rs 172.08 lacs for which original deeds of conveyance were not produced.

4.2 The original title deed of land and building pertaining to Indore Dewas Chapter is not in the possession of the new committee as the same have not been handed over to them.

4.3 The Institute has granted Establishment and other administrative grants to the extent of Rs21.60 lacs @ Rs 8000/- per month(maximum) to some C and D Category chapters and yearly membership fee of Rs 15.17 lacs @ Rs 200/-

per member. In the absence of full details it could not be established if entire liability on this account has been determined and provided for.

.

4.4 Western Indian Regional Council(WIRC)

4.4.1 The Institute has appointed a firm of Chartered Accountants to conduct a special audit in reference to the qualifications made by us in paragraphs 4.3.1 to 4.3.3 of our Report dated 21st July 2014 on the financial statement for the year ended 31.03.2014. The Special auditor's report has been considered by an Implementation Committee appointed by the Council whose recommendations and/or actions to be taken by the Council are in the process of being implemented, which when fully

implemented, may have a material bearing on the financial status of the Institute both in terms of compliances in accordance with relevant Acts and Regulations including CWA Act and Regulations and consequential liabilities including liabilities that may
arise from Income Tax point of view, which has neither been determined nor provided for.

4.4.2 Attention is drawn to Note No. B 7(ii)(b) of Schedule 15 regarding amount due to be recovered from the then chairman and vice chairman of WIRC for the financial year 2013-14 amounting to Rs. 20.77 lacs and from certain council members amounting to Rs. 0.81lacs towards certain unauthorised payments and amount claimed from certain contractors Rs. 67.30 lacs, the realisability of which are uncertain for which no separate provision has been made. However corresponding amounts stand directly credited to Claims Suspense account.

4.4.3 It is noted from Paragraph 5.3 of the Annual Report of WIRC that a firm of Cost Accountants has been appointed to conduct Forensic Audit of WIRC. Inspite of our request no details regarding the scope of work and other terms were disclosed to us. We are therefore not in a position to comment on the purpose of such Forensic Audit and if the transactions to be covered are fraudulent in nature. The effect or impact of such audit on the Financial Statements of the Institute is indeterminate at this stage.

4.5 Eastern India Regional Council:

(a) During the previous year, the Institute has appointed a firm of Chartered Accountants to conduct a special audit in reference to the qualifications made by us in paragraph 4.4 of our Report dated 21st July 2014 on the financial statement for the year ended 31.03.2014, . The Special auditor's report has been considered by an Implementation Committee appointed by the Council who has pointed out that various important files and documents were missing from the office of the EIRC and recommended that FIR be filed with the police for appropriate investigation and action including explanations to be called for from the EIRC and its immediate past chairpersons regarding missing files, documents and the circumstances under which payments amounting to Rs. 51.34 lacs were made without written approval from the competent authority and required documents. Various recommendations and the actions proposed to be taken in this regard, we were informed, are in the process of being implemented. Pending the outcome of such implementation we are not in a position to state whether the irregularities committed may have a material bearing on the financial status of the region, on completion of such implementation.

(b) Balance of Capital Work in Progress representing major renovation expenses amounting to Rs 1,60,44,103.00 remain unaltered from previous year. It includes several small items of revenue nature which ought to have been charged off and the balance capitalized. Though the same has been put to use, assets have not been capitalized nor depreciation provided for the past 2 years. This has the effect of understatement of Revenue Expenses, the quantum of which has not been determined.

(c) We noted that the Auditors of EIRC has not expressed any qualification with respect to the above in their report.

4.6 Northern India Regional Council(NIRC)

The appointment of the Auditor M/S Mahesh K.Agarwal and Co is in dispute. However, as opined by the Learned Solicitor General of India, the accounts of NIRC is treated as Audited. Since the Financial Statements of NIRC audited by the said firm, whose appointment itself is in dispute, has been forwarded to us. We have considered the same for consolidation. We state hereunder the observation made by them.

4.6.1 Executive committee of the regional council of ICAI in its meeting held on 6th October 2015 resolved as under "Resolved that an amount of Rs, 4144422/- (Rupees forty one lac forty four thousand four hundred twenty two only)to be debited to CMA Vijender Sharma of which details are placed and chairman NIRC is requested to issue debit note within 45 days with instructions to staff to credit respective heads of accounts under supervision of Sunil Singh secretary and Anil Sharma Treasurer".

This was further confirmed by the Regional Council in its meeting held on 22.11.15, 27.11.15 and 25.5.16
Subsequent to this a letter dated 9.5.16 was received from the Secretary of the Institute wherein he had directed the NIRC to withdraw the debit notes till the council finally takes a decision in this matter.
Pending final decision/outcome of the council and the uncertainty with regards to the claims receivables, resolution of the EC meeting dated 6.10.2015 and RC meeting dated 22.11.2015, 27.11.15 and 25.5.16 the same debit note is confirmed. Due to this
Entries were not given full effect and the regional council debited the "claim receivable" with Rs 4144422/- with a corresponding credit to the "claims suspense" account. As adopted and approved by the Regional Council in its meeting held on 22.11.2015, 27.11.2015 and 25.5.2016. The assets and liabilities have been stated higher to that extent. (Refer Note No 6A and B of the Notes to accounts).

4.6.2 Pending non reconciliation with Head office, Non confirmation of certain chapters and the non recovery gratuity receivables as referred to Note No B (1(a) and (b)) and Note No B (2) of the Notes to account, we are unable to comment upon the effect of the same on the Financials of the Regional Council in future if any.

4.6.3 As stated in Note No B (3) of Notes to accounts, balance confirmation as on 31.3.2016 from accounts receivables and payables have not been received, effect if any of the revelation on receipt of confirmation cannot be commented upon at this stage.

Our opinion pursuant to such qualification by NIRC Auditor is also based on such comments.

4.6.4The council of the Institute in its 296th Meeting dated 7th November 2015 requested us to review the qualifications of the Auditor of NIRC in the Audit Report for the F.Y. 2014-15, and status of the unsigned vouchers of NIRC for the FY 2013-14 and 2014-15 vide letter dated 3rd December 2015 and 9th May 2016 and submit our recommendations.

We have reviewed the qualifications made by the said Auditors of NIRC (appointment is in dispute) for the F.Y 2014-15and status of the unsigned vouchers for the F.Y 2013-14 and 2014-15 and submitted our Review report to the President of the Institute on 18th July 2016 recommending a Special Audit to bring out a detailed audit opinion in respect of the above. Pending such special audit no effect was given in the Financial Statements, which may affect the net assets position and results for the year ended 31.03.2016 when the reports be received..

4.7 An amount of Rs 37,58,088/- has been shown under the advance/loan for building construction received by the chapters from Regional Councils which is in contravention of the decision taken in 266th meeting of the Council dated 30.12.2010. Further an amount of Rs 2,25,000/- (previous year Rs 3,00,000/-) outstanding from Kanpur Chapter remains to be confirmed and reconciled.

In the absence of full details and comments by respective auditors regarding loans granted to Chapters by the Regional Councils we are not in a position to state whether such loans were granted in accordance with the decision of the Council taken from time to time.

4.8. Attention is drawn to Note No 11 of Notes to Accounts (Schedule 15) regarding non availability of certain forms sent by Headquarters of the Institute for consolidation purposes to the Regional/Chapter Auditors. Since the concerned Auditors of the aforesaid Chapters have reported that audited accounts of the Chapters are giving a true and fair view of the financial statements, we relied on such report in the absence of any material departure from the Accounting Standards and specific qualification by such Auditors.

4.9 The Headquarter of the Institute has taken steps to systemetise various control measures, but during the course of audit internal control was found to be lacking in several areas such as, conducting of course by the chapters without approval of the Directorate of studies, Loans given by the RC's to chapters, advance taken from committee members, keeping of high cash balances, non submission of budgets by some chapters, granting of loan to committee members, expenditure incurred exceeding the budget, Faculty Remuneration paid to the Committee members, Investment of the fund of the Institute in Mutual Fund, non deduction of Tax at source on various payment, violation of delegation of power and willful avoidance of purchase procedure etc in violation of CWA Act and Regulations. The Internal audit of headquarter and various chapters were not found to be commensurate with the nature and size of the Institution. Internal control needs to be substantially strengthened in terms of compliance of legal and regulatory requirements.

4.10 No confirmation have been received from the RC's and Chapters against an amount of Rs. 102.17 lacs shown under current A/c with RC's and Chapters.

5. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, *subject to* our observations made in paragraph 1 above and *subject to* and *except for the possible effects of the matters described in Para 4 for 'Basis for Qualified Opinion Paragraph'* and Para 6 below read with significant accounting policies and notes on accounts as given in Schedule 15, the financial statements of The Institute of Cost Accountants of India for the year ended March 31, 2016 give the information in the manner so required and give a true and fair view, in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2016;
(b) in the case of the Income & Expenditure Account, of excess of Income over Expenditure for the year ended on that date and,

(c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

***6.* Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

6.1 Liability in respect of post retirement benefits of a number of employee/Trainees has neither been determined nor provided for as required in terms of AS 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

6.2 TDS under section 194I and 194J has not been made in some cases.

Subject to above we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit, except in case of a few small chapters,

b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Institute of Cost Accountants of India so far as appears from our examination of those books (and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Regions and Chapters not visited by us, unless otherwise stated in Paragraph 1and 4.8 above);

c) the reports on the accounts of the Regional and Chapter Offices of the Institute audited by the auditors of respective Regions and Chapters as have been received by us, were properly dealt with in preparing this report;

d) Subject to our Observations in Para 1, 4 and Para 6 above the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and the returns received from the Regions and Chapters not visited by us and comply with the Accounting Standards;

Place: Kolkata
Date: 29th September 2016

For K. S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
(FRN. 100186W)

S. Ghosh FCA
(M. No. 050927)

The Institute of Cost Accountants of India

Balance Sheet as at 31st March, 2016

Previous Year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	SCH. NO.	Current Year 2015-16 Rs.	Current Year 2015-16 Rs.
	INSTITUTE FUND :			
25774,03,797	General Fund	(1)		25542,68,869
23,08,288	Employees' Gratuity Fund	(2)		15,31,916
62,70,924	Misc. Prize Fund	(3)		75,99,950
116,21,299	Other Funds	(4)		326,79,007
25976,04,308	**TOTAL**			**25960,79,742**
	REPRESENTED BY :			
	Fixed Assets :	(5)		
10224,11,687	a) Gross Block		10678,24,092	
2973,72,834	b) Less Depreciation		3707,73,369	
7250,38,853	c) Net Block			6970,50,723
1118,31,133	Capital Work In Progress			1611,56,897
500	Investment	(6)		500
18880,89,947	Current Assets	(7)	18793,58,194	
397,37,409	Loans & Advances	(8)	455,85,371	
19278,27,356			**19249,43,565**	
1670,93,534	Less : Current Liabilities & Provisions	(9)	1870,71,943	
17607,33,822	**NET CURRENT ASSETS**			**17378,71,622**
25976,04,308	**TOTAL**			**25960,79,742**
	Notes to Accounts	(15)		

Schedules referred to above form part of the Accounts

As per our report attached.

For and on behalf of the Council

For **K.S.Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 100186W

CMA Arup Sankar Bagchi
Director - Finance

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

S.Ghosh
Partner
Membership No. : 050927

CMA Manas Kumar Thakur
President

Kolkata
Dated : 29th Sept.,2016

The Institute of Cost Accountants of India

Income And Expenditure Account
for the year ended 31st March, 2016
(With NIRC)

Previous Year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Sch. No.	Current Year 2015-16 Rs.
	INCOME :		
422,81,718	Membership & Other Fees	(10)	363,97,166
5710,83,203	Tuition & Other Fees	(11)	4592,96,119
2201,70,816	Examination & Other Fees	(12)	1755,66,662
268,98,369	C. P.D & Other Programme Fees		216,01,223
20,69,276	Journal Subscription incl. Advertisement		12,94,969
3,22,033	Sale of Publication		14,61,828
1681,19,172	Interest		1296,11,577
97,91,013	Other Income		67,03,271
10407,35,600	**TOTAL**		**8319,32,815**
	EXPENDITURE :		
2483,92,666	Establishment	(13)	2468,93,494
1185,50,864	Office Expenses	(14)	1283,72,157
12,82,843	Statutory Audit Fees		13,87,795
140,92,226	Travelling & Conveyance		144,25,231
1433,66,841	Examination Expenses		1098,91,100
293,12,714	Council & Committee Meeting Expenses		268,16,467
16,43,384	Election Expenses incl. Tribunal		181,14,217
200,48,267	Journal Expenses		198,05,127
86,89,880	Membership Subscription To Foreign Bodies		92,30,410
39,63,953	Conference & Meeting International		43,44,466
362,16,310	C. P.D, Technical Skill Development & Other Programme Expenses		338,20,756
179,04,059	Professional Development Expenses		89,97,360
1370,70,666	Coaching Expenses		1193,75,788
312,38,746	Study Materials & Prospectus Consumed		399,00,457
6,06,967	Publication Stock Consumed		4,67,014
26,04,778	Sundry Assets Written Off (Stock & Debtors)		6,33,360
629,52,568	Depreciation	(5)	737,88,184
8779,37,732	**TOTAL**		**8562,63,383**
1627,97,868	**Balance being excess of Income over Expenditure c/d**		**(243,30,568)**

Previous Year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Sch. No.	Current Year 2015-16 Rs.
1627,97,868	**Balance being deficit of Expenditure over Income b/d**		**(243,30,568)**
(8,73,533)	Prior Period Adjustment (Net)	(14A)	(11,23,803)
1619,24,335	**Balance being deficit of Expenditure transferred to General Fund**		**(254,54,371)**
	Notes to Accounts	(15)	

Schedules referred to above form part of the Accounts

As per our report attached.

For K.S.Aiyar & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 100186W

For and on behalf of the Council

CMA Arup Sankar Bagchi
Director - Finance

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

S.Ghosh
Partner
Membership No. : 050927

CMA Manas Kumar Thakur
President

Kolkata
Dated : 29th Sept.,2016

The Institute of Cost Accountants of India

SCHEDULE FORMING PART OF ACCOUNTS as at 31st March, 2016

SCHEDULE NO.1: GENERAL FUND

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.	Current year 2015-16 Rs.
23803,34,810	Balance as per Previous Balance Sheet		**25774,03,797**
	Add :		
205,64,323	i) Capitalization of Chapter's Land & Building	13,58,705	
14,14,524	ii) Transfer of Capital- Kothagudem Chapter (Closed)		
129,69,010	iii) Transfer from Library Fund	2,53,022	16,11,727
24152,82,667			**25790,15,524**
	Less :		
	i) Adjustment against		
20,62,544	Stock of Study Material & Prospectus	19,15,393	
4,17,487	Building Renovation - Chapter	-	19,15,393
24128,02,636			**25771,00,131**
26,76,826	Add : Entrance Fees (Member)		26,23,109
24154,79,462			**25797,23,240**
1619,24,335	Add : Net Surplus for the year as per Income & Expenditure Account		(254,54,371)
25774,03,797	**Total**		**25542,68,869**

SCHEDULE NO. 2: EMPLOYEES' GRATUITY FUND

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS		Current year 2015-16 Rs.
70,24,164	Balance as per Previous Balance Sheet		**23,08,288**
1,37,547	Add : Contribution for the year		3,55,035
71,61,711			**26,63,323**
2,12,132	Add : Interest earned on Fixed Deposit of Fund for the year		1,19,770
42,09,655	Less : Amount Paid to Trust		-
8,55,900	Less : Gratuity paid to Employees' during the year		12,51,177
23,08,288	**Total**		**15,31,916**

SCHEDULE NO. 3: MISC. PRIZE FUND

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS		Current year 2015-16 Rs.
60,72,210	Balance as per Previous Balance Sheet		**62,70,924**
1,84,705	Add : Addition during the year		5,92,299
4,14,114	Add : Income credited during the year		9,51,461
(4,00,105)	Less : Cost of the prize		(2,14,734)
62,70,924	**Total**		**75,99,950**

SCHEDULE NO. 4: OTHER FUND

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS		Current year 2015-16 Rs.
2,99,023	Building Fund		3,70,550
2,53,022	Library Fund		7,61,488
110,69,254	Misc. Fund		315,46,969
116,21,299	**Total**		**326,79,007**

SCHEDULE NO. 5: FIXED ASSETS

Description of Assets	Gross Block				Depreciation/Amortisation				Net Block	
	Opening Cost 01.04.15	Addition during the period	Add/(Less) : Adjustment	Total as on 31.03.2016	Upto 01.04.15	For the year	Add/(Less) : Adjustment	Upto 31.03.2016	This year 2015-16	Last year 2014-15
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.
Tangible Assets :										
FREEHOLD LAND	1560,03,303		(2,83,463)	1557,19,840	2,83,463		(2,83,463)	-	1557,19,840	1557,19,840
LEASEHOLD LAND	645,94,039		47,507	646,41,546	47,87,951	9,48,015		57,35,966	589,05,580	598,06,088
FREEHOLD BUILDING	5624,90,212	86,97,876	17,58,295	5729,46,383	1555,08,934	411,95,073		1967,04,007	3762,42,376	4069,81,278
FURNITURE & FITTINGS	639,57,042	28,21,628	18,38,808	686,17,478	253,35,235	42,86,897		296,22,132	389,95,346	386,21,807
LIBRARY BOOKS	112,39,150	6,01,475	(99,027)	119,39,652	112,39,150	8,04,688	(1,04,186)	119,39,652	-	-
OFFICE EQUIPMENTS	641,40,193	57,78,204	36,41,997	735,60,394	282,54,359	66,70,515		349,24,874	386,35,520	358,85,834
GENERATORS	74,56,674	59,26,896	(9,88,905)	123,94,665	31,80,535	10,05,275		41,85,810	82,08,855	42,76,139
LIFT	107,83,035	2,75,238		110,58,273	18,85,748	13,75,879		32,61,627	77,96,646	88,97,287
MOTOR CAR	5,10,460			5,10,460	3,85,205	18,788		4,03,993	1,06,467	1,25,255
COMPUTER	524,05,906	20,58,336	5,21,048	549,85,290	468,35,963	44,43,155		512,79,118	37,06,172	55,69,943
CYCLE	8,368			8,368	8,368	-		8,368	-	-
Intangible Assets :										
SOFTWARE	288,23,305	105,07,934	21,10,504	414,41,743	196,67,923	130,39,899		327,07,822	87,33,921	91,55,382
	10224,11,687	**366,67,587**	**85,46,764**	**10678,24,092**	**2973,72,834**	**737,88,184**	**(3,87,649)**	**3707,73,369**	**6970,50,723**	**7250,38,853**
Previous Year	**8656,96,346**	**1504,63,439**	**62,51,902**	**10224,11,687**	**2344,20,266**	**629,52,568**	**-**	**2973,72,834**	**7250,38,853**	**6312,76,080**
Capital-work in Progress (including Capital Advance Rs 1,97,58,800). Adjustment/Capitalization pending on account of either Court Order of Patna Rs.125 lakhs or decision by sister Institute Rs.60.28 lakhs for Ajmer Centre of Excellence and others Rs.12.30 lakhs.									**1611,56,897**	**1118,31,133**

SCHEDULE NO. 6: INVESTMENT (AT COST)		
Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
	SHARES OF CO-OPERATIVE TRUST :	
	50 Shares of Rs.10/- each in	
500	Rohit Chambers Premises Co-operative Society Limited,Mumbai	500
	(earlier described as Jai Brindaban Premises Trust Fund, Bombay)	
500	**TOTAL**	**500**

SCHEDULE NO. 7: CURRENT ASSETS		
Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
	Stock :	
11,29,967	- Publication Stock (at Cost)	9,97,909
39,24,174	- Paper Stock (at Cost)	39,34,459
153,00,025	- Study Material incl.Prospectus Stock (at Cost)	109,76,891
26,52,482	- Stock of Other Material (at Cost)	21,40,707
206,04,878	Sundry Debtors	153,60,426
947,85,543	Other Receivables	825,49,815
	Cash and Bank Balances :	
11,62,221	Cash in hand	1316410
14,453	Postage Stamp in hand	-
	Cheques in hand	
	Balances with Scheduled Banks :	
744,19,732	On Current Account	588,83,270
451,64,856	On Savings Account	451,24,772
16289,31,616	**Fixed Deposits with Banks :**	16580,73,535
18880,89,947	**Total**	**18793,58,194**

SCHEDULE NO.8: LOANS AND ADVANCES		
Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
1,41,786	Building Loan to Employees	28,337
5,17,552	Vehicle Purchase Advance to Employees	2,21,078
84,19,731	Other Advances	78,62,262
6,54,750	Festival Advance to Employees	5,57,220
57,66,468	Advance Membership Subscription to Foreign Bodies	66,63,330
169,03,634	TDS Receivable	227,38,743
19,85,010	Prepaid Expenses	19,58,450
53,48,478	Deposit	55,55,951
397,37,409	**Total**	**455,85,371**

SCHEDULE NO.9: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
	Current Liabilities :	
89,56,226	Library Deposit	77,43,955
310,63,691	Sundry Creditors	393,74,527
-	Current Account with RC & Chapter	102,16,735
1201,69,339	Other Liabilities	1147,04,074
14,31,675	TDS Payable	37,97,835
54,72,603	Provisions	112,34,817
1670,93,534	**Total**	**1870,71,943**

SCHEDULE OF PROVISIONS :

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
	Head Quarters	
40,000	- Grants to Co-operative Credit Society	40,000
	Provision for Expenses	
8,41,365	- SIRC	14,76,704
2,43,206	- NIRC	(35,766)
26,72,534	- WIRC	42,82,400
16,75,498	- Chapters	54,71,479
54,72,603	**Total**	**112,34,817**

SCHEDULE NO.10: MEMBERSHIP & OTHER FEES

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
310,96,634	Annual Membership Fees	282,84,388
60,30,512	Members Certificate of Practice Fees	62,69,910
90,635	Grad C.W.A. Fees	49,555
35,51,137	Members Complaint / Restoration Fees/Nomination Fees	3,39,478
5,000	Certified Facilitation Centre Fees	8,500
14,63,799	Membership & Certification Fees - IMA(USA)	14,21,335
44,000	Certificate of Good Standing	24,000
422,81,718	**Total**	**363,97,166**

SCHEDULE NO.11: TUITION AND OTHER FEES

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
163,15,500	Student Registration Fees	121,65,000
70,44,339	Practical Training Registration Fees	58,67,687
23,99,600	Practical Training/Subject Exemption Fees	20,40,988
4896,65,933	Tuition Fees	3868,07,086
374,71,350	CAT Course Income	298,55,418
115,67,775	Revalidation of Coaching Completion Certificates Fees	67,79,141
53,27,917	Sale of Prospectus	25,21,738
12,81,012	Sale of Study Notes	132,55,961
9,777	Sale of Postal Coaching,Revalidation & Denovo Forms	3,100
5710,83,203	**Total**	**4592,96,119**

SCHEDULE NO.12: EXAMINATION AND OTHER FEES

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
2149,06,296	Examination Fees	1725,32,865
36,36,319	Verification of Answers Paper Fees	29,22,000
12,080	Sale of Suggested Answer including Scanner	120
16,16,121	Sale of Exam. Forms	1,11,677
2201,70,816	**Total**	**1755,66,662**

SCHEDULE NO.13: ESTABLISHMENT

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
1977,47,198	Salaries & Allowances	1988,45,872
79,33,234	Employer's Cont. to Employees' Gratuity Fund	36,03,612
172,21,892	Employer's Cont. to Employees' Provident Fund	190,54,804
3,624	Employer's Cont. to Employees' Benevolent Fund	3,204
110,03,692	Employer's Cont. to Employees' Leave Encashment	84,80,557
40,55,817	Employees' Leave Encashment - Existing	42,68,315
62,72,998	Medical Expenses	68,52,387
8,33,662	Leave Travel Allowance to Employees	10,11,992
8,86,544	RPFC Administration & E.D.L.I. Inspection Charges	13,26,516
24,34,005	Training & Development (H.R.D.)	34,46,235
2483,92,666	**Total**	**2468,93,494**

SCHEDULE NO.14: OFFICE EXPENSES

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
82,79,134	Printing & Stationery	75,23,628
128,33,505	Postage,Telegrams,Telephones & Fax	117,17,895
5,67,527	Internal Audit Fees	33,56,725
96,80,224	Electricity Charges	104,34,457
3,34,504	Generator Expenses	2,30,025
17,44,295	Rates & Taxes	80,23,301
6,74,431	Insurance	8,94,406
114,54,002	Repair & Maintenance	109,65,646
16,11,194	Car Expenses	16,50,465
7,820	Interest on Caution Money Deposit	7,820
26,49,409	Legal Charges	61,79,600
2,84,336	Bank Charges	1,81,482
49,97,116	Computer Maintenance Expenses	43,66,606
167,81,214	Public Relation Expenses	137,47,339
31,63,128	Watch & Ward Expenses	46,29,463
6,62,979	Books & Periodicals	6,24,567
7,97,989	Delegate Fee	3,47,314
1,70,415	Gazette Notification	1,05,350
24,64,891	Staff Welfare	24,15,624
97,35,212	Rent	88,92,344

208,17,617	Administrative Charges	249,79,539
88,39,922	Sundry Expenses	70,98,561
1185,50,864	**Total**	**1283,72,157**

SCHEDULE NO. 14A: PRIOR PERIOD ADJUSTMENT

Previous year 2014-15 Rs.	PARTICULARS	Current year 2015-16 Rs.
	Prior Period Income	
84,502	HQ	42,21,656
38,25,197	EIRC	1,05,063
6,94,156	NIRC	2,874
57,89,869	Chapters of WIRC	2,90,999
1,04,470	Chapters of SIRC	2,04,415
36,888	Chapters of EIRC	32,927
4,400	Chapters of NIRC	83,900
105,39,482	**Total (A)**	**49,41,834**
	Prior Period Expenses	
25,49,732	HQ	45,76,165
1,07,828	WIRC	-
-	SIRC	-
72,52,277	EIRC	3,31,500
7,75,292	NIRC	1,17,808
2,20,756	Chapters of WIRC	1,41,842
2,89,224	Chapters of SIRC	8,41,282
37,779	Chapters of EIRC	55,660
1,80,127	Chapters of NIRC	1,380
114,13,015	**Total (B)**	**60,65,637**
(8,73,533)	**PRIOR PERIOD ADJUSTMENT (A-B)**	**(11,23,803)**

The Institute of Cost Accountants of India

CASH FLOW STATEMENT AS ON 31.03.2016

Previous Year 2014-15 Rs	PARTICULARS	Current Year 2015-16 Rs	Rs
	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
1619,24,335	NET SURPLUS BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEM	(254,54,371)	
629,52,568	ADD- DEPRECIATION	737,88,184	
2248,76,903	**OPERATING SURPLUS BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES**	**483,33,813**	
(118,42,837)	INCREASE/DECREASE IN CURRENT LIABILITIES	199,78,409	
(374,11,837)	INCREASE/DECREASE IN CURRENT ASSETS	(165,88,900)	
(492,54,674)		**365,67,309**	
1756,22,229	**NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES**		**849,01,122**
	CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
1012,62,272	PURCHASE OF FIXED ASSETS	951,25,818	
-	DECREASE IN INVESTMENT	-	
1012,62,272	**NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES**		**951,25,818**
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
260,39,455	INCREASE IN CAPITAL	239,29,805	
260,39,455	**NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES**		239,29,805
1003,99,412	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT**		**137,05,109**
16492,93,466	ADD- CASH & CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD		17496,92,878
17496,92,878	**CASH & CASH EQUIVALENT AS AT 31.03.2015**		**17633,97,987**
11,76,674	Cash	13,16,410	
16289,31,616	Fixed Deposit	16580,73,535	
744,19,732	Bank Balance - Current A/c	588,83,270	
451,64,856	Bank Balance - Savings A/c	451,24,772	
17496,92,878		**17633,97,987**	

As per our report attached

For and on behalf of the Council

For **K.S.Aiyar & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. : 100186W

CMA Arup Sankar Bagchi
Director - Finance

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

S.Ghosh
Partner
Membership No. : 050927

CMA Manas Kumar Thakur
President

Kolkata
Dated : 29th September,2016

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

Schedule – 15

A. Significant Accounting Policies:

1. Basis for preparation of Financial Statements :
The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, the applicable Accounting Standards, the relevant provisions of the Cost and Works Accountants Act, 1959, as amended and are on accrual basis unless otherwise stated.

2. Basis of Consolidation

The financial statements of HQ Kolkata) and New Delhi office and its Four Regional councils and Ninety Six Chapters are consolidated by adding together the value of assets and liabilities, income and expenses after eliminating all material intra group balances, intra group transactions and resultant unrealized surplus/deficit. Necessary adjustments are made wherever required.

3. **Entrance Fee**

Entrance Fee received from members is capitalized.

4. **Registration Fee**

Registration Fee received from students is recognized as revenue income as and when the student is enrolled.

5. **Revenue Recognition :**

The Institute recognizes significant items of income on the following basis:-

(a) Members' Subscription

Membership Subscription is recognized in the year to which it pertains.

(b) Tuition and other Fees

Revenue in respect of Postal and Oral Tuition Fees are recognized as and when the student is enrolled**.**

(c) Sale of Publication

Revenue in respect of sale of publications is recognized when such publications are transferred to a user for a price.

(d) Examination Fees

Examination Fees is recognized for the concerned term(s) to which it pertains.

(e) Others

Revenue from Programme Fee is recognized as and when such activity is undertaken.

(f) Interest

Income from interest for the year due on Fixed Deposit with Banks is recognized on accrual basis taking into account the amount outstanding and the applicable rate.

(g) Income from Investments is recognized as and when the right to receive the payment is established.

6. **Expenditure:**

The expenditure is recognized on accrual basis including expenses related to postal and oral coaching except in the following cases:

(i) The Annual Grants to Chapters are recognized as and when disbursed.

(ii) Election expenses are recognized in the financial year in which it is incurred.

7. **Fixed Assets:**

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost comprises the purchase price and any other cost attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. Assets under creation are shown as capital work-in-progress.

8. **Depreciation/Amortization :**

(a) Depreciation on Fixed Assets is provided on written down value method as per Income Tax Act,1961.

(b) Book Value of Leasehold land including premium paid thereon are amortized over the Lease period. The ground rent if any, are recognized as expense in the year for which such charges are due or payable.

(c) Library books are depreciated at 100% in the year of purchase.

9. **Investments :**

Long term investments are stated at cost. However, when there is a decline other than temporary, in the value of long term investments, carrying amount is reduced to recognize the decline.

10. **Inventories :**

Publication stock, Study Materials and Paper Stock including Prospectus stock etc. are valued at Cost or Net Realizable Value whichever is lower. Cost of Publications and that of Study Materials is determined on weighted average basis and cost of paper is determined on first-in-first-out basis.

11. **Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**:

(i) A provision is recognized:-

(a) When there is present obligation as a result of past event;

(b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation; and

(c) A reliable estimate can be made of the amount of obligation.

(ii) No provision is recognized for:

(a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute;

(b) any present obligation that arises from past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are disclosed as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for except in extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currency are denominated at the exchange rate prevailing on the transaction date. Monetary items are reported by using the closing rate. Differences in the exchange rate arising on the settlement of monetary items initially recorded/reported are recognized as income /expense, as the case may be, in the period in which it arises.

13. Employee Benefits:

i) Short term benefit:

The short term employee benefit is recognized as expense when claimed during the period. Unclaimed amount is provided for.

(ii) Post employment benefit such as P.F, Gratuity, Leave Encashment etc. are provided as applicable to Head Quarter, respective Regional Councils and Chapters.

14. Impairment of Assets :

At the Balance Sheet date impaired assets, if any are identified and necessary provision as required is made.

15. Prior Period income/expenditure:

Prior period items which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements in one or more prior periods are separately disclosed in the Income & Expenditure Account.

B. Notes forming part of Accounts

1. The consolidated financial statement is prepared considering Headquarters, Kolkata, New Delhi office, four Regional Councils and Eighty Eight chapters. Accounts of Chandrapur, Jhagrakhand Chirimiri, Konkan, Korba, Neyveli, Silchar, Ghaziabad and Jammu Srinagar Chapters not included having not received. However previous year balance sheet figures of these chapters have been considered for consolidation (refer – Annexure 1).
2. Exemption in respect of Income Tax has been granted u/s 10(23A) read with Section 11 of the Income Tax Act,1961. As such no provision for Income Tax has been made. No provision for Deferred Tax Asset and Liability is considered necessary.
3. All Prize Funds maintained by the Institute have been incorporated in the accounts together with relevant investment in Fixed Deposit thereof. The funds have been sponsored by different donors.
4. Fixed Deposit of Rs. 165, 80, 73,535/- includes Rs.33, 27,133/- towards Misc prize and other fund against the fund of Rs.75,99,950/- and Rs. 3,26,79,007/-, in the absence of specific earmarked amount, the same await identification.
5. Other Advances include Rs. 1,36,097/- (previous year Rs.1,36,097/-) due from a former Council Member owing to disallowances by the MCA, Govt. of India. The mater is continuing to be subjudice.
6. Statutory Audit Fees includes:-

Statutory Audit Fees (HQ)	Rs.4,80,700 /-
Re-imbursement of out of Pocket Expenses	Rs. 10,282 /-
	Rs.4,90,982/-

7. (i) **Headquarters**
   a) Provident Fund contributions are made to the Institute of Cost Accountants of India Employees Provident Fund Trust.
   b) The liability in respect of Gratuity, as per Payment of Gratuity Act,1972 (as amended) is Recognized on the basis of contribution made to the LICI against the Group Gratuity Policy.
   c) The liability in respect of leave encashment is recognized on the basis of contribution made to an Approved Leave Encashment Fund maintained with the LICI.
   d) Fixed Deposit of Rs.80,87,75,111/- includes Rs.25,74,535/- for Misc prize and other fund.
   e) The following properties which have not yet been transferred in the name of the Institute and do not have a clear title in view of court order or otherwise are being shown as "capital Advance" in schedule 4 (CWIP).

Centre of Excellence Ajmer	- Rs. 60, 28,800/-
Chandigarh Panchkula	- Rs. 12, 30,000/-
Patna	- Rs. 1,25,00,000/-
Total	**Rs. 1, 97, 58,800/-**

(ii) **WIRC**

a. Library Deposit of Rs. 5, 81,405 outstanding since 31.03.2010 have been written back during the year.

b. Claims suspense Rs. 20,77,565 for 2013-14, Rs. 81,176 for 2014-15 and Claims Suspense FDAPL Rs. 67,30,000 appearing under Other Liabilities in Sch 9 and claims receivable of equal amount appearing under Other Receivables in Sch 7 in the consolidated accounts has remained static during the year.

c. The land at CIDCO Navi Mumbai was purchased in the name of HQ. The money advanced by WIRC amounting to RS. 12, 60,937 towards the said land appearing under Schedule Loans/Advances & Deposits have been refunded by HQ.

d. Legal charges amounting to Rs.196630 has been incurred during the current financial year.

(iii) **SIRC**

a. FD with IOB to the tune of Rs. 8, 45,222 has been earmarked towards closing balances of Endowment/Memorial Funds, Building Development Fund etc.

b. During the FY 2015-16 Library Deposit remaining unclaimed beyond 3 years amounting to Rs.39,000/- for the card nos. 11998 - 12099 has been transferred to Regional Council Fund. In the event of any refund arising in future, it will be paid from fund.

c. In the FY 2015-16, property tax and water tax were revised retrospectively by respective local authorities with effect from April 2010 and expenditure in respect of rates and taxes include Rs.4,42,440/- in respect of arrears upto FY 2014-15 in respect of the above retrospective revision.

(iv) **EIRC**

a. Liabilities by way of Sundry Creditors relating to earlier years amounting to Rs. 1, 05,062/- and no longer payable are written back as Prior Period Income.

b. Sundry advances amounting to Rs. 53,500/- relating to earlier years and no longer receivable is written off as Prior Period Expenses as per resolution passed in the Council meeting No 272 dated 12.06.16.

c. As per resolution passed in the council Meeting No 270 dated 19.12.15 an amount of Rs.2, 78,000/- shown as advance relating to earlier years and representing Staff welfare is being shown as Prior Period Expenses.

d. Gratuity premium of Rs. 10, 04,229/- (difference between opening & closing net liability recognized by Actuarial valuation of LICI) not considered in the accounts of 2015-16. The amount has been provided in the consolidated income and expenditure account under employer's contribution to gratuity fund with corresponding provision under other liabilities.

e. The EIRC had a lease agreement with SBI, Harish Mukherjee Road Br. The Lease agreement expired on 31.12.2015 and EIRC had not renewed it. Repeated requests by EIRC to SBI to vacate the premises have not yielded any result. EIRC has not received rent from SBI since expiry of lease deed.

f. An amount of Rs.1,60,44,103/- is lying from the previous year in CWIP pertaining to renovation expenditure incurred in FY 2012-13 & 2013-14 for EIRC premises. Accordingly no depreciation has been provided pending decision on capitalization.

(v) **NIRC**

The Auditor of the NIRC has reported that "pending final decision/outcome of the central council and the uncertainty with regard to the claims receivables, resolution of the meeting dated 6th October, 2015 as stated above was not given full effect and the regional council debited the "claims receivable" with Rs. 41,44,422/- with a corresponding credit to the "claims suspense" account as adopted and approved by the Regional Council in its meeting held on 22.11.2015, 27.11.2015 and 25.05.2016. The assets and liabilities have been stated higher to that extent."

In this matter a Writ Petition has been filed in the High Court of Delhi being W.P.(C) 6030/2016 and the Hon'ble Court has issued the following orders, which are reproduced :

15th July, 2016

"Issue notice.

Notice is accepted by Learned counsel appearing for respondent No.1. Notice shall issue to respondent Nos . 2 to 8, returnable on 22nd August, 2016. Learned counsel for the petitioner contends that respondent No.8, who was appointed as the Chartered Accountant by respondent No.2, had resigned on 22.07.2015 and thereafter no Chartered Accountant was appointed by respondent No.2. He contends that the Chartered Accountant appointed by respondent No.1 was not permitted to audit the account. It is contended that respondent No.2 has called for an Annual General Meeting scheduled to be held on 18th July, 2016 at 5 p.m. The agenda of the meeting is, inter alia, to receive the Annual Report for the year ended 31.03.2016, to adopt the audited accounts for the year ended 31.03.2016, to appoint Auditors for the year 2016-17.

It is contended that since there was no Auditor to audit the accounts, purported audit accounts could not put for adoption in the said meeting. The notice fixing the meeting in July, 2016 was issued on

30.06.2016. The petitioner has come at the very last minute. In view thereof, no interim orders can be granted at this stage except to direct that any decision taken in the Annual General Meeting scheduled to be held on 18.07.2016 in so far as it pertains to the above agenda items, shall be subject to further orders of this Court.

Dasti under signatures of the Court Master."

22nd August, 2016

"Learned counsel appearing for respondent No.1 prays for time to file counter affidavit. Let the same be filed within four weeks. Learned counsel appearing for respondent Nos.2 to 8 submits that the counter affidavit is ready. An advance copy has been furnished to the counsel for the petitioner. Let the counter affidavit be filed in the Registry within two days. Rejoinder, if any, be filed within four weeks thereafter. Renotify on 06.12.2016."

The Council at its 302nd Meeting held on 19.9.2016 has resolved that:

"Annual Accounts of the Institute for 2015-16 was approved without debit notes raised on Council Member by NIRC in accordance with Council decision at its 297th Meeting held on 7th and 20th March, 2016 and consolidation of unaudited accounts of NIRC subject to opinion of Solicitor General of India whether such consolidation can be made."

In the 300th Meeting of Council held on 21.7.2016, it was decided that since the matter is pending before the Hon'ble High Court of Delhi, as of now the Accounts of NIRC cannot be consolidated with the Accounts of the Headquarters. In the said meeting, the Council also decided that in view of order of Hon'ble High Court of Delhi, any decision taken in the AGM scheduled to be held on 18.07.2016 in so far as it pertains to receive the Annual Report for the year ended 31.03.2016, to adopt the audited accounts for the year ended 31.03.2016, to appoint Auditors for the year 2016-17, shall be subject to further orders of the Court. Accordingly, the Council decided that at present it is not in a position to take decision regarding condonation of delay in conducting AGM by NIRC.

In accordance with decision taken by the Council at its 297th Meeting held on 7th and 20th March, 2016, NIRC was directed to withdraw the debit notes till the Council takes a decision on the basis of recommendation of Statutory Auditor of the Institute. NIRC was also asked how they have arranged to publish their Annual Report without the Auditor's Report since no Auditor was appointed in the last Annual General Meeting of the NIRC.

The Council at its 296th meeting held on 7th, 8th & 29th November, 2015 decided to engage the Statutory Auditor of the Institute on the following matters to advise the Council on suitable course of action:

1. Review the qualifications of the auditor of NIRC in the audit report for 2014-15 and make suitable recommendations.
2. Status of unsigned vouchers of NIRC for 2013-14 & 2014-15 and make suitable recommendations.

The recommendations submitted are under active consideration.

In the said meeting, the Council also appointed M/s. K.S. Aiyar & Co., Chartered Accountants as Auditor of NIRC for financial year 2015-16 who have expressed their inability. However, NIRC claimed to have got their accounts for the financial year 2015-16 audited by the earlier auditor without being appointed in the Annual General Meeting held on 10.09.2015 under supervision of Headquarters.

In view of legal opinion obtained by the Institute from Learned Solicitor General of India, the Accounts of NIRC have been considered in the Consolidated Financial Statements of the Institute for the financial year 2015-16 as per decision of the Council at its 302nd meeting held on 19. 9.2016. The matter is pending before the Hon'ble Court for further orders.

Chapters:

1. **Bhubaneshwar:**
   a. Land/Building of the Chapter has been shown in the books of accounts as per previous practice.
   b. Two new Funds created during the year namely Nayan Kishore Sahoo Memorial Fund & Ashalata Mishra Memorial Fund with corpus of Rs.1,42,893/- and Rs.50,000/-

2. **Thrissur**

   Capital expenditure exceeding Rs.1,00,000 (Furniture/Fittings Rs. 5,00,325 & Air Conditioner Rs.3,75,200) to be ratified by the AGM.

3. **Cochin**

   a. Full time course was conducted for 10 students. The net income from course is Rs.2, 78,730 and has been shown under oral coaching fee.

b. Half time course was conducted for 25 students. Net income from the course is Rs. 2, 65,855 and same has been shown under oral coaching fee.

4. **Madurai**

Fixed Assets valued Rs.4, 65,500 which is wrongly accounted old material account is transferred to Fixed Assets account during this year. Depreciation on the above asset Rs. 1, 20,045 for previous period has been charged during current FY.

5. **Pune**

a. An amount of Rs 2 crore taken as a loan from WIRC has been repaid along with the outstanding interest of Rs.11, 33,677/- to WIRC in the current financial year.

b. During the year Rs.1, 33,000/- on account of legal charges has been incurred i.e. debited in professional fees of income expenditure account. The same has been reinstated in legal expenses account at the time of consolidation.

6. **Ludhiana**

A sum of Rs. 1,49,446.75 is due from past years from Mr.R.C. Singhal, a past Chairman of Ludhiana chapter inclusive of Rs. 1330/- and Rs.5930/- incurred by Mr. Ramesh Talwar and Mr.Sanjib Jain respectively. Appropriate Action under section 138 of N.I. Act has been initiated.

7. **Contingent Liability (Claims not acknowledged as Debt)**

a) As per policy medical expenses (General, Pathology expenses) are reimbursed to the employees on submission of bills, subject to limits specified in the policy. As per the terms of the policy the unutilized balance can be accumulated for a period of 4 years.

As on 31st March 2016, the unutilized balance lying to the credit of the employees amounting to Rs.1, 59, 95,808/-

b) On 31/10/2014, the KSEB had issued a short assessment bill for the period from December 2007 to July 2014 demanding an amount of Rs. 6, 45,005/-. The Kochi chapter has contested the same and filed a writ petition before the Hon'ble High court of Kerala. The Hon'ble High Court has not decided on the same till date.

c) Amount claimed by a contractor disputed by WIRC Rs. 48.83 lacs against this Institute has made a counter claim of Rs. 67.30 lakhs.

d) There is a legal suit filed by ex contractual employees against EIRC claiming compensation. This is contested by EIRC in Court of Law. The quantum is yet to be ascertained.

e) Works contracts tax amounting to Rs 8.73 lakhs on construction contract of Rs 1.09 crore has not been paid/provided as Cochin chapter is not registered with the department. In the event of contractor not submitting Form 20H/IEE the Institute may have to pay the amount and accordingly disclosed as contingent liability.

f) IT Dept. has issued intimations u/s 200A of IT Act, 1961, to Raipur Chapter imposing late filing fees of TDS returns u/s 234E. The chapter has filed appeals with the Commissioner of IT Appeal u/s 246(1) (a). The decision of the appeal is pending.

8. In respect of freehold land & building and leasehold land, no deed could be produced for Rs.57.73 lakhs. Original deed in respect of freehold land & building could not be produced for Rs.280.07 lakhs (Rs.107.99 lakhs in the name of the Institute & Rs.172.08 lakhs in the name of the chapters).

9. Probability of claims on account of certain statutory liabilities including post retirement benefits of employees, the quantum of which are unascertainable at this stage.

10. Necessary adjustment entries pertaining to Regional Councils and Chapters have been made at the time of consolidation of accounts.

11. Southern India Regional Council and seventeen Chapters (Ajmer-Bhilwara, Gorakhpur, Cochin, Hyderabad, Mangalore, Nellai-Pearl City, Tiruchirapalli, Erode, Bokaro, Bhubaneswar, Guwahati, Hazaribag Ranchi, Bhilai, Vindhyanagar, Bhadrabati-Simoga, Agartala) have not submitted declaration in the form of Representation Letter signed by their auditors to ensure compliance of requirements of Accounts Closing Circular dated 17.05.2016. However Auditors of these chapters have issued unqualified audit report which the Statutory Auditors have considered in forming their opinion.

12. Accounts of the SIRC & four Chapters (Hazaribag, Naihati-Ichapur, Nellai Pearl City, Vijaywada) are not signed by their respective Treasurers in terms of Clause 12 (3) (iii) of the Chapter bye-laws.

13. Accounts of the seven chapters (Dhanbad-Sindri, Faridabad, Jaipur, Pondicherry, Talcher –Angul , Nara Nangal and Siliguri Gangtok) remain unaudited reflecting total assets of Rs 0.66 crores and revenue of Rs 0.26 crores.

14. Based on the available information as at 31st March, 2016, there is no amount including Interest thereon payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006".

15. Previous year's figures have been regrouped and rearranged wherever necessary to conform to the current year's groupings.

For and on behalf of the Council

CMA Arup Sankar Bagchi
Director (Finance)

CMA Kaushik Banerjee
Secretary

CMA Manas Kumar Thakur
President

Place : Kolkata

Date : 29th September, 2016

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA
STATUS OF RECEIPT OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE F.Y. 2015-16

WESTERN REGION		SOUTHERN REGION	
SL.NO.	NAMES	SL.NO.	NAMES
1	**WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**	1	**SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL**
2	Ahmedabad Chapter of ICAI	2	Bangalore Chapter of ICAI
3	Aurangabad Chapter of ICAI	3	*Bhadravati -Shimoga Chapter of ICAI*
4	Baroda Chapter of ICAI	4	Cochin Chapter of ICAI
5	Bhilai Chapter of ICAI	5	Coimbatore Chapter of ICAI
6	Bhopal Chapter of ICAI	6	Erode Chapter of ICAI
7	Bilaspur Chapter of ICAI	7	Godavari Chapter of ICAI
8	***Chandrapur Chapter of ICAI #***	8	Hyderabad Chapter of ICAI
9	Goa Chapter of ICAI	9	Kottayam Chapter of ICAI
10	Indore-Dewas Chapter of ICAI	10	Madurai Chapter of ICAI
11	Jabalpur Chapter of ICAI	11	Mangalore Chapter of ICAI
12	***Jhagrakhand-Chirimiri Chapter of ICAI #***	12	Mettur-Salem Chapter of ICAI
13	Kalyan-Ambarnath Chapter of ICAI	13	Mysore Chapter of ICAI
14	Kolhapur-Sangli Chapter of ICAI	14	Nellai-Pearl City Chapter of ICAI
15	**Konkan Chapter of ICAI #**	15	Nellore Chapter of ICAI
16	**Korba Chapter of ICAI #**	16	***Neyveli Chapter of ICAI #***
17	Kutch-Gandhidham Chapter of ICAI	17	Palakkad Chapter of ICAI
18	Nagpur Chapter of ICAI	18	Pondicherry Chapter of ICAI
19	Nasik-Ojhar Chapter of ICAI	19	Ranipet-Vellore Chapter of ICAI
20	Navi Mumbai Chapter of ICAI	20	Thrissur Chapter of ICAI
21	Pimpri–Chinchwad–Akurdi Chapter of ICAI	21	Tiruchirapalli Chapter of ICAI
22	Pune Chapter of ICAI	22	Trivandrum Chapter of ICAI
23	Raipur Chapter of ICAI	23	Ukkunagaram Chapter of ICAI
24	Surat-South Gujarat Chapter of ICAI	24	Vijayawada Chapter of ICAI
25	Vapi-Daman-Silvassa Chapter of ICAI	25	Visakhapatnam Chapter of ICAI
26	*Vindhyanagar Chapter of ICAI*		

EASTERN REGION		NORTHERN REGION	
SL.NO.	NAMES	SL.NO.	NAMES
1	**EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL**	1	***NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL***
2	*Agartala Chapter of ICAI*	2	Agra-Mathure Chapter of ICAI
3	Asansol Chapter of ICAI	3	Ajmer-Bhilwara Chapter of ICAI
4	Bokaro Steel City Chapter of ICAI	4	Allahabad Chapter of ICAI
5	Bhubaneswar Chapter of ICAI	5	Chandigarh-Panchkula Chapter of ICAI
6	Cuttack Jagatsinghpur Kendrapara Chapter of	6	Dehradun Chapter of ICAI
7	Dhanbad-Sindri Chapter of ICAI	7	Faridabad Chapter of ICAI
8	Durgapur Chapter of ICAI	8	***Ghaziabad Chapter of ICAI #***
9	Guwahati Chapter of ICAI	9	Gorakhpur Chapter of ICAI
10	Hazaribag Chapter of ICAI	10	Gurgaon Chapter of ICAI
11	Howrah Chapter of ICAI	11	Hardwar-Rishikesh Chapter of ICAI
12	Jajpur-Keonjhar Chapter of ICAI	12	Jaipur Chapter of ICAI
13	Jamshedpur Chapter of ICAI	13	Jalandhar Chapter of ICAI

14	Kharagpur Chapter of ICAI	14	***Jammu Srinagar Chapter of ICAI #***
15	Naihati-Ichapur Chapter of ICAI	15	Jhansi Chapter of ICAI
16	Patna Chapter of ICAI	16	Jodhpur Chapter of ICAI
17	Rajpur Chapter of ICAI	17	Kanpur Chapter of ICAI
18	Ranchi Chapter of ICAI	18	Kota Chapter of ICAI
19	Rourkela Chapter of ICAI	19	Lucknow Chapter of ICAI
20	Sambalpur Chapter of ICAI	20	Ludhina Chapter of ICAI
21	Serampore Chapter of ICAI	21	*Naya Nangal Chapter of ICAI*
22	***Silchar Chapter of ICAI #***	22	Noida Chapter of ICAI
23	Siliguri-Gangtok Chapter of ICAI	23	Patiala Chapter of ICAI
24	South Orissa Chapter of ICAI	24	Udaipur Chapter of ICAI
25	Talcher-Angul Chapter of ICAI		

Not Included

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.05 16:17:34 +05'30'